



यूको बैंक
UCO BANK

असाधारण आम बैठक हेतु नोटिस
गुरुवार, 26 नवम्बर, 2020
पूर्वाह्न 11.00 बजे

NOTICE FOR EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
Thursday, 26th November, 2020
11.00 A.M.

प्रधान कार्यालय : 10 बी.टी.एम. सरणी, कोलकाता - 700001
Head Office : 10, B.T.M. Sarani, Kolkata - 700001
वेबसाइट / Website : www.ucobank.com



यूको बैंक UCO BANK

प्रधान कार्यालय: 10, बी.टी.एम.सरणी, कोलकाता-700001
Head Office : 10, B. T. M. Sarani, Kolkata - 700001

विषय-सूची / Table of Contents

मद/Item	पृष्ठ सं./Page No.
नोटिस/Notice	3
Explanatory statement(s)/Eligibility criteria/Procedure for submission of Nomination forms ब्याख्यात्मक विवरण, योग्यता मानदण्ड/ नामांकन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया	3-14
ई-वोटिंग के सामान्य अनुदेश /General Instruction for Voting	15
प्रासंगिक अधिनियमों तथा विनियमों का अंश/Extracts of Relevant Acts and Regulations	27
नामांकन फार्म /Nomination Form	51
घोषणा फार्म /Declaration Form	53
प्रस्तावित निदेशक (उम्मीदवार) द्वारा व्यक्तिगत जानकारी की घोषणा तथा वचनबद्धता Declaration of Personal Information and Undertaking by the Proposed Director (candidate)	57

कार्यक्रमों की महत्वपूर्ण तारीख / Important Calendar of Events

चुनाव में सहभागिता हेतु शेयरधारकों की पात्रता के निर्धारण के लिए कट ऑफ/ निर्धारित तारीख Cut-off/Specified date for the purpose of ascertaining eligibility of the shareholders to participate in the Election	शुक्रवार, 23 अक्टूबर, 2020 Friday, 23rd October, 2020
नामांकन फार्म प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि Last Date for submission of Nomination form	बुधवार, 11 नवम्बर 2020 Wednesday, 11th November, 2020
नामांकनों की संवीक्षा Scrutiny of nominations	गुरुवार, 12 नवम्बर 2020 Thursday, 12th November, 2020
नामांकन वापस लेना Withdrawal of Nomination	शनिवार, 21 नवम्बर, 2020 Saturday, 21st November, 2020
ई - वोटिंग के लिए प्राधिकृत प्रतिनिधियों को नियुक्त करने के लिए संकल्प को प्राप्त करने हेतु अंतिम तारीख Last date of receipt of resolutions appointing Authorised Representatives for e-voting	शनिवार, 21 नवम्बर, 2020 Saturday, 21st November, 2020
ई-वोटिंग की तारीख /Date of e-voting	सोमवार, 23 नवम्बर, 2020 से बुधवार, 25 नवम्बर, 2020 Monday, 23rd November, 2020 to Wednesday, 25th November, 2020
विडियो कांफ्रेंस (वीसी) तथा अन्य विडियो विसुअल माध्यमों (ओएवीएम) से असाधारण आम बैठक की तारीख तथा समय Date and time of Extraordinary General Meeting through Video Conference (VC)/Other Audio Visual Means (OAVM)	गुरुवार, 26 नवम्बर 2020 Thursday, 26th November, 2020
असाधारण आम बैठक के वेन्यू का मानित (डीमड) स्थान Deemed Venue of the Extraordinary General Meeting	यूको बैंक प्रधान कार्यालय, 10 बी टी एम सरणी, कोलकाता- 700001 UCO Bank Head Office, 10 BTM Sarani, Kolkata-700001



यूको बैंक

UCO BANK

प्रधान कार्यालय: 10, बी.टी.एम. सरणी, कोलकाता-700001

सूचना

एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि यूको बैंक के शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक (ईजीएम) गुरुवार, 26 नवम्बर, 2020 को पूर्वाह्न 11 बजे से विडियो कॉन्फ्रेंस /अन्य श्रेय्य दृश्य माध्यम (वीसी/ओवीएएम) से निम्नलिखित कार्यों के लिए आयोजित की जाएगी:

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (i) (जिसे इसके बाद अधिनियम कहा जाएगा) सह-पठित बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान)योजना, 1970 (जिसे इसके बाद 'योजना' कहा जाएगा) तथा यूको बैंक (शेयर एवं बैठकें) संशोधन विनियमन, 2003 (जिसे इसके बाद 'विनियमन' कहा जाएगा) को अधिनियम की धारा 19 के अनुसरण में, साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना सं. आरबीआई/डीबीआर/2019-20/71, मास्टर निदेश डीबीआर/एपीपीटी सं. 9/29.67.001/2019-20 दिनांक 2 अगस्त, 2019 (जिसे इसके बाद 'आरबीआई की अधिसूचना' कहा जाएगा) एवं भारत सरकार की अधिसूचना सं. एफ़.न. 16/83/2013-बीओ.आई दिनांक 3 सितंबर, 2013 एवं 20 जुलाई, 2016 एवं उसके तहत किए गए कोई भी संशोधन तथा दिनांक 25 मार्च, 2015 के सरकारी क्षेत्रों के बैंकों के लिए गैर सरकारी निदेशक की नियुक्ति हेतु भारत सरकार द्वारा प्रतिपादित मानदंडों के साथ पठित (जिसे इसके बाद 'सरकार का दिशानिर्देश कहा जाएगा') के अनुरूप निम्नलिखित संकल्प पारित करके बैंक के शेयरधारकों (केंद्र सरकार के अलावा) में से एक निदेशक का चुनाव :

"यह संकल्प लिया जाता है कि उक्त योजना, उसके अंतर्गत बनाए गए विनियमन और आरबीआई अधिसूचना के साथ पठित, अधिनियम की धारा 9 (3) (i) के अनुसरण में केंद्र सरकार के अलावा बैंक के शेयरधारकों में से चुने गए एक निदेशक को बैंक के निदेशक का कार्यभार प्रदान करने के लिए इसके द्वारा चुना जाता है तथा 02 दिसंबर, 2020 से अगले तीन वर्षों की अवधि पूरी होने तक वे इस पद पर बने रहेंगे।"

निदेशक मंडल के आदेश से

हस्ता/-

(ए. के. गौयल)

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थान: कोलकाता

दिनांक: 14-10-2020

नोट :

1. कोविड-19 महामारी के कारण, असाधारण आम बैठक की इस नोटिस के जारी होने के समय, सामाजिक दूरी एवं लोगों के इकट्ठा होने पर लॉकडाउन प्रतिबंध लागू है। लॉकडाउन के पूरी तरह हटने या लोगों के इकट्ठा होने के प्रतिबंध हटने पर बैंक वीसी के माध्यम से बैठक करने के अतिरिक्त कोलकाता स्थित किसी जगह पर ईजीएम करने पर विचार कर सकता है। बैंक बैठक के आयोजन के माध्यम में होनेवाले परिवर्तनों से हितधारकों को स्टॉक एक्सचेंजों, समाचार पत्रों में नोटिस के प्रकाशन, तथा बैंक की वेबसाइट पर इसकी सूचना देते हुए अवगत कराएगा।

2. व्याख्यात्मक विवरण:

आपके बैंक ने 2 दिसंबर, 2017 को केंद्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों के बीच से श्री के. राजीवन नायर को चुना था और उनका कार्यकाल 1 दिसंबर, 2020 को समाप्त हुआ था। जैसा कि बैंक में सार्वजनिक शेयरधारिता बैंक की पेड अप पूंजी के 16% से कम हो गई है, बैंक केवल एक शेयरधारक निदेशक का चुनाव कर सकता है। 2 दिसंबर, 2020 को होने वाली रिक्ति को भरने के लिए, आपके बैंक को गुरुवार, 26 नवम्बर, 2020 पर बुलाई जाने वाली एक असाधारण आम बैठक में एक शेयरधारक निदेशक का चुनाव कराने का प्रस्ताव है। निर्वाचित निदेशक 2 दिसंबर, 2020 से कार्यभार ग्रहण करेगा और 1 दिसंबर, 2023 तक तीन वर्षों की अवधि के लिए उनका कार्यकाल रहेगा।



यूको बैंक

UCO BANK**Head Office : 10, B.T.M. Sarani, Kolkata - 700001****NOTICE**

Notice is hereby given that an Extraordinary General Meeting (EGM) of the Shareholders of **UCO BANK** will be held on Thursday the 26th November, 2020 at 11 A.M. through Video Conference/Other Audio Visual Means (VC/OAVM) to transact the following business :

To elect one Director from amongst the shareholders of the Bank (other than the Central Government) in terms of Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (hereinafter referred to as the "Act") read with the Banking Regulation Act, 1949 and Nationalized Banks (Management And Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (hereinafter referred to as the "Scheme") and the UCO Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003 (hereinafter referred to as "the Regulations") made pursuant to Section 19 of the Act, and Notification No. RBI/DBR/2019- 20/71, Master Direction DBR/APPT No.: 9/29.67.001/2019-20 dated August 2, 2019 of Reserve Bank of India (hereinafter referred to as "RBI Notification") and Notification No. F.No.16/83/2013-BO.I dated 3rd September, 2013 of Government of India read with Criteria laid down by Government for consideration as Non-Official Directors of Public Sector Banks on March 25, 2015; July 20, 2016 and any amendments made thereunder (hereinafter referred as "GOI Guidelines") by passing the following resolution:-

"RESOLVED THAT one Director elected from amongst shareholders other than the Central Government pursuant to Section 9(3)(i) of the Act read with Scheme, Regulations and RBI Notification and GOI Guidelines be and is hereby elected as Director of the Bank to assume office from 2nd December, 2020 and hold office until the completion of a period of three years from the date of such assumption".

By Order of the Board Directors

sd/-

(A. K. Goel)

Managing Director & CEO

Place : Kolkata

Date : 14-10- 2020

NOTES:

1. At the time of issue of this Notice of EGM, due to COVID-19 pandemic there are norms for social distancing and restrictions on assembly of persons. In the event lockdown is lifted in entirety or assembly restrictions are eased, the Bank may, in addition to conducting the Meeting through VC, consider holding the EGM at the venue located in Kolkata .The Bank will notify the shareholders of the change in mode of conduct of the Meeting and its venue by intimating the Stock Exchanges, publishing notice in the newspapers, and also hosting the same in the website of the Bank.

2. EXPLANATORY STATEMENT :

Your Bank had elected Shri K. Rajivan Nair, from amongst the shareholders other than Central Government on 2nd December, 2017 and his term ends on 1st December, 2020. As the public shareholding in the Bank has reduced below 16% of the paid-up capital of the Bank, the Bank is entitled to elect only one Shareholders' Director. With a view to fill in the vacancy that will arise on 2nd December, 2020, your Bank proposes to conduct Election of one Shareholder Director at an Extraordinary General Meeting to be convened on Thursday, 26th November, 2020. A Director so elected shall assume office from 2nd December, 2020 and will hold office for a period of three years till 1st December, 2023.



3. मतदान में सहभागिता करने हेतु शेयरधारकों की पात्रता

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (i) एवं इस संबंध में अन्य लागू विधि, नियमों, विनियमों, भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों तथा भारत सरकार के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसरण में केंद्र सरकार के अतिरिक्त बैंक के शेयरधारकों में से निदेशक के चुनाव में सहभागिता (नामांकन, प्रतियोगिता एवं वोट) करने हेतु शेयरधारकों की पात्रता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बैंक ने शुक्रवार, 23 अक्तूबर, 2020 तारीख निर्धारित किया है।

वैसे शेयरधारक जिनके नाम 23 अक्तूबर, 2020 तक एनएसडीएल/सीडीएसएल द्वारा उपलब्ध कराये गए अनुसार सदस्यों/हिताधिकारियों के रजिस्टर में दर्ज हैं वे सहभागिता करने यानी केंद्र सरकार के अतिरिक्त शेयरधारकों में से निदेशकों के चुनाव में किसी को नामित करने एवं लड़ने के लिए पात्र होंगे।

4. बैंक के निदेशक के रूप में चुने जाने हेतु अपेक्षित योग्यता

अधिनियम की धारा 9 (3A) के अनुसार बैंक के किसी शेयरधारक और अधिनियम की धारा 9 (3) (i) के तहत बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचित होने के इच्छुक प्रत्याशी को :

क) निम्नलिखित में से किसी एक या एक से अधिक विषय का विशेष ज्ञान अथवा व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए :

- कृषि या ग्रामीण अर्थव्यवस्था
- बैंकिंग
- सहकारिता
- अर्थशास्त्र
- वित्त
- विधि
- लघु उद्योग
- किसी अन्य विषय का विशेष ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव, जो भारतीय रिजर्व बैंक की राय में बैंक के लिए उपयोगी हो।

आरबीआई ने अपने परिपत्र सं. डीबीआर.एपीपीटी.बीसी.सं.39/29.39.001/2016-17 दिनांक 24 नवंबर, 2016 के माध्यम से इन्हें (i) सूचना प्रौद्योगिकी (ii) भुगतान और निपटान प्रणाली (iii) मानव संसाधन (iv) जोखिम प्रबंधन और (v) व्यवसाय प्रबंधन को शामिल करने के लिए विशेषज्ञता के क्षेत्रों को विस्तारित किया है, जिन्हें बैंकों में निदेशक की नियुक्ति के लिए माना जा सकता है।

ख) जो जमाकर्ताओं के हितों का प्रतिनिधित्व करता हो, अथवा

ग) किसानों, कामगारों एवं शिल्पकारों के हि का प्रतिनिधित्व करता हो

अधिनियम की धारा 9 (3AA) की शर्तों के अनुसार बैंक का कोई शेयरधारक उम्मीदवार जो बैंक का निदेशक बनने को इच्छुक हो, उसे अधिसूचना में वर्णित मानदंड के अनुसार "उपयुक्त एवं समुचित" हैसियत वाला व्यक्ति होना चाहिए। इसके अतिरिक्त निर्वाचित निदेशकों को संयोजकों का विलेख निष्पादित करना होगा तथा उन्हें इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित वार्षिक घोषणा प्रस्तुत करनी होगी।

5. बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचित होने हेतु अयोग्यताएं :

क) राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 के खंड 10 की शर्तों के अनुसार, कोई भी ऐसा व्यक्ति निदेशक के रूप में नियुक्त होने और निदेशक होने के लिए अयोग्य होगा :

- यदि वह, किसी समय दिवालिया घोषित कर दिया गया हो या उसने लेनदारों का भुगतान रोका हो या प्रशमन किया हो, अथवा
- यदि उसे विकृत दिमाग का पाया गया हो या उसे किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया हो, अथवा
- यदि उसे फौजदारी न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किया गया हो, जिसमें नैतिक चरित्रहीनता भी शामिल है, अथवा



3. Eligibility of the Shareholders to participate in the election

The Bank has **fixed Friday, the 23rd October, 2020 as the Cut-off Date** for the purpose of ascertaining eligibility of the shareholders to participate (**nominate, contest and vote**) in the election of Director from amongst the shareholders of the Bank other than the Central Government pursuant to Section 9 (3) (i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and other applicable laws, rules, regulations, guidelines issued by Reserve Bank of India and Govt. of India in this regard.

Such of those shareholders whose names appear on the register of members/beneficial owners as furnished by NSDL/CDSL **as on 23rd October, 2020 shall** be entitled to participate i.e. nominate and contest in election of directors from amongst Shareholders other than the Central Government.

4. Qualifications required for being elected as a Director of the Bank

In terms of Section 9(3A) of the Act, a candidate, being a shareholder of the Bank and who desires to be elected as Director of the Bank under Section 9(3)(i) of the Act shall:

- a. have special knowledge or practical experience in respect of the one or more of the following matters namely:-
 - Agriculture and rural economy
 - Banking
 - Co-operation
 - Economics
 - Finance
 - Law
 - Small scale industry
 - Any other matter the special knowledge of, and practical experience in which, would, in the opinion of the Reserve Bank of India be useful to the Bank.

RBI vide its circular no.DBR.Appt.BC.No.39/29.39.001/2016-17 dated November 24, 2016 has extended the fields of specialization to include (i) Information Technology (ii) Payment & Settlement Systems (iii) Human Resources (iv) Risk Management and (v) Business Management, for persons who could be considered for appointment of director in the banks.

- b. Represents the interest of depositors; or
- c. Represents the interest of farmers, workers and artisans

In terms of Section 9(3AA) of the Act a candidate being a shareholder of the Bank, desires to be a Director of the Bank should possess 'Fit and Proper' status. Further, the elected Director should execute the deed of covenants and is required to furnish annual declarations as prescribed by the Reserve Bank of India in this regard.

5. Disqualifications from being elected as a Director of the Bank

- a. In terms of Clause 10 of the Nationalized Bank (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, a person shall be disqualified for being appointed, as and for being a Director
 - If he has at any time been adjudicated an insolvent or has suspended payment or has compounded with his creditors; or
 - If he has been found to be of unsound mind and stands so declared by a competent court; or
 - If he has been convicted by criminal court of an offence which involves moral turpitude; or



- यदि वह किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप धारा (1) के तहत गठित भारतीय स्टेट बैंक या भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक) अधिनियम 1959 की धारा 3 में यथा परिभाषित किसी अनुषंगी लाभ का पद धारण करता है/करती है, इसके सहित कि वह अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (ई) और (एफ) के तहत एवं बैंक के कर्मचारियों में से नामित किए गए प्रबंध निदेशक तथा निदेशक सहित पूर्णकालिक निदेशक का पद धारण करता/करती है एवं
- ख) यदि वे भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना सं. आरबीआई/डीबीआर/2019-20/71, मास्टर निदेश डीबीआर/एपीपीटी सं. 9/29.67.001/2019-20 दिनांक 2 अगस्त, 2019 के साथ पठित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के गैर सरकारी निदेशक के रूप में विचारार्थ भारत सरकार द्वारा प्रतिपादित मानदंड के अनुसार बैंक के बोर्ड की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति द्वारा "उपयुक्त एवं समुचित" व्यक्ति नहीं पाए जाते हैं।

6. चुनाव के लिए उम्मीदवारों का नामांकन:

विनियमन के विनियम 65 के अनुसार एवं भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना सं आरबीआई/डीबीआर/2019-20/71, मास्टर निदेश डीबीआर/एपीपीटी सं. 9/29.67.001/2019-20 दिनांक 2 अगस्त, 2019 के साथ पठित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय तथा वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा जारी संदर्भ एफ.सं. 16/83/2013-बीओ.आई के माध्यम से पत्र सं. 3 सितंबर, 2013 तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में गैर सरकारी निदेशक के रूप में विचारार्थ केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड जिसे 25 मार्च, 2015 और 20 जुलाई, 2016 को जारी किया गया था (जीओआई दिशानिर्देश) और भारत सरकार के निदेशों तथा विभिन्न अधिनियमों, नियमों, विनियमों एवं दिशानिर्देशों के प्रयोज्य प्रावधानों के अनुसार निदेशक के रूप में चयन हेतु उम्मीदवार का नामांकन वैध होगा बशर्ते:

- निर्वाचन में सहभागिता हेतु शेयरधारकों की पात्रता के निर्धारण के प्रयोजन से निर्धारित विनिर्दिष्ट तारीख 23 अक्टूबर, 2020 को उसकी शेयरधारिता या तो भौतिक या अभौतिक माध्यम से यूको बैंक के 100 (एक सौ) शेयरों से कम न हो जो कि उसके पास बैठक की तिथि तक बनी रहे और उसके बाद यदि वह निर्वाचित होता/होती है तो उसके कार्यकाल की समाप्ति तक न्यूनतम 100 (एक सौ) शेयर उसके पास रहने चाहिए।
- नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तारीख 11 नवम्बर, 2020 को यथास्थिति वह अधिनियम/योजना/विनियम/भारिबैंक अधिसूचना/भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अंतर्गत निदेशक बनने के अयोग्य न हुआ हो।
- अधिनियम के अंतर्गत निदेशक चुनने के हकदार कम से कम एक सौ शेयरधारकों अथवा उनके द्वारा विधिवत गठित अटार्नी द्वारा लिखित रूप में हस्ताक्षरित नामांकन, बशर्ते शेयरधारक जो एक कंपनी है, का नामांकन उक्त कंपनी के निदेशकों के संकल्प द्वारा किया जाए और जहां ऐसा संकल्प किया जाता है वहां उस बैठक के, जहां इसे पारित किया गया था, अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित संकल्प की सही प्रति बैंक के प्रधान कार्यालय को कंपनी सचिव, यूको बैंक, वित्त विभाग, प्रधान कार्यालय, 2 इंडिया एक्सचेंज प्लेस, कोलकाता-700001 को संबोधित करते हुए प्रेषित की जाएगी एवं ऐसी प्रति कंपनी के पक्ष में नामांकन समझी जाएगी।
- शेयरधारकों (न्यूनतम 100) द्वारा नामांकन के साथ घोषणा प्रस्तुत की जानी चाहिए और उम्मीदवार द्वारा न्यायाधीश/मजिस्ट्रेट/एश्वोरेंस के रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार या अन्य राजपत्रित अधिकारी या भारतीय रिजर्व बैंक या राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी के समक्ष विधिवत हस्ताक्षरित यह घोषणा कि (I) वह नामांकन स्वीकार करता/करती है और निर्वाचन में भाग लेने का/की इच्छुक है, (II) वह बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 या बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 या राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधानों) योजना, 1970 या यूको बैंक (शेयर एवं बैठकें) संशोधन विनियम, 2003 एवं भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना संख्या आरबीआई/डीबीआर/2019-20/71, मास्टर निदेश डीबीआर/एपीपीटी/सं. 9/29.67.001/2019-20 दिनांक 2 अगस्त 2019 तथा गैर सरकारी निदेशकों के लिए यथालागू भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार निदेशक बनने के अयोग्य नहीं हुआ/हुई है।
- नामांकन फॉर्म के साथ उसका विधिवत हस्ताक्षरित व्यक्तिगत विवरण (बायो-डाटा) और इस आशय की पुष्टि होनी चाहिए कि ऐसे विवरण उसकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य हैं और उसकी यह वचनबद्धता कि वह इस घोषणा के बाद ऐसी कोई भी घटना, जो इस सूचना से संगत हो, बैंक को यथाशीघ्र पूर्णतया सूचित करेगा/करेगी।



- If he holds any office of profit under any Nationalized Bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955 or any Subsidiary Bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, except for holding the post of whole time Director, including the Managing Director and Directors nominated under clauses (e) and (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act from among the employees of the Bank and
- b. If he is not found to be 'fit and proper' person in terms of RBI Notification No. RBI/DBR/2019-20/71, Master Direction DBR/APPT No. 9/29.67.001/2019-20 dated August 2, 2019 read with the criteria laid down by the Government for consideration as Non-Official Director of Public Sector Banks by the Nomination and Remuneration Committee of the Board of the Bank.

6. Nomination of Candidates for Election:

In terms of Regulation 65 of the Regulations and in terms of RBI Notification No. RBI/DBR/2019-20/71, Master Direction DBR/APPT No. 9/29.67.001/2019-20 dated August 2, 2019 read with letter dated 3rd September, 2013 vide Ref F.No. 16/83/2013-BO.I issued by Government of India, Ministry of Finance and Department of Financial Services and criteria laid down by the Central Government for consideration as a Non Official Director in Public Sector Banks issued on March 25, 2015 and July 20, 2016 (GOI guidelines) and other applicable provisions of various Acts, Rules, Regulations and guidelines, nomination of a candidate for election as a Director shall be valid provided:

- He /she is a shareholder holding not less than 100 (One hundred) shares of UCO Bank as on 23rd October, 2020, being the Specified date of reckoning for participation in the election, either in physical or demat mode, and continues to hold a minimum of 100 shares till the date of the meeting and thereafter till the end of his/her tenure, if he/she is elected.
- As on 11th November, 2020, being the last date for receipt of nomination, he/she is not disqualified to be Director under the Act/Scheme/Regulation/RBI Notifications/GOI Guidelines
- The nomination is in writing signed by at least one hundred shareholders entitled to elect Director under the Act or by their duly constituted attorney, provided that a nomination by shareholder who is a company may be made by a resolution of the Directors of the said Company and where it is so made, a copy of the resolution certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall be dispatched to the Head Office of the Bank addressed to the Company Secretary, UCO Bank Finance Department, Head Office, 2, India Exchange Place, Kolkata - 700001 and such copy shall be deemed to be a nomination on behalf of such Company.
- The nominations by shareholders (minimum 100) is accompanied by a declaration signed by the candidate before a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Gazetted Officer or an officer of the Reserve Bank of India or any Nationalized Bank that (i) he /she accepts the nomination and is willing to stand for election, (ii) he/she is not disqualified under Banking Regulation Act, 1949 or the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970 or the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 Or the UCO Bank (Shares and Meetings) Amendments Regulations, 2003 and Notification No. RBI/DBR/2019-20/71, Master Direction DBR/APPT No. 9/29.67.001/2019-20 dated August 2, 2019 of Reserve Bank of India and GOI guidelines as applicable to Non-official Directors.
- The nomination forms shall be accompanied with his /her personal details (bio data) duly signed and affirming that such details are true to the best of his/her knowledge and belief and also his/her undertaking to keep the Bank fully informed as soon as possible of such events which are relevant to the information, subsequent to the declaration.



- नामांकन फॉर्म एवं घोषणा फॉर्म विनियम द्वारा यथानिर्धारित और इस नोटिस के साथ संलग्न प्रोफार्मा के अनुसार है। (यह प्रोफार्मा बैंक की वेबसाइट www.ucobank.com पर भी उपलब्ध है।

7. नामांकन फार्मों की प्रस्तुति

शेयरधारकों में से केंद्र सरकार को छोड़कर बैंक के निदेशक के चुनाव लड़ने के इच्छुक शेयरधारकों को जमा करना चाहिए :

- यथानिर्धारित प्रारूप में विधिवत रूप से भरा गया घोषणा पत्र;
- निर्वाचन में भाग लेने हेतु पात्र न्यूनतम 100 शेयरधारकों से नामांकन;
- इस नोटिस के साथ संलग्न प्रारूप में घोषणा पत्र तथा वचन पत्र, जिसके साथ संबंधित दस्तावेज, प्रशंसापत्र अर्थात बायो-डाटा, शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाणपत्र, अनुभव आदि संलग्न हो।

कंपनी सचिव, वित्त विभाग, प्रधान कार्यालय, 2 इंडिया एक्सचेंज प्लेस, 3रा तल, कोलकाता-700001 को असाधारण आम बैठक की निर्धारित तारीख अर्थात 11 नवम्बर, 2020 को अपराह्न 5.00 बजे तक या इसके पूर्व कम से कम चौदह दिन पूर्व किसी भी कार्यदिवस को बंद लिफाफे में प्रस्तुत करना होगा। उपरोक्त दस्तवेजो वाले सील बंद लिफाफे "Nomination for Election of Director" के साथ सुपर स्क्राइब किया जायेगा।

उपर्युक्त नामांकन फॉर्म व अन्य दस्तावेज सभी तरह से पूर्ण होने चाहिए और ऐसा न होने पर नामांकन अस्वीकृत किया जा सकता है।

8. नामांकनों की जांच तथा निदेशकों का चुनाव:

- नामांकन प्राप्त होने के लिए निर्धारित तिथि के बाद प्रथम कार्य दिवस अर्थात 12 नवम्बर, 2020 को नामांकनों की जांच की जाएगी और यदि कोई नामांकन वैध नहीं पाया जाता है तो उसका कारण दर्ज करने के पश्चात उसे अस्वीकृत कर दिया जाएगा।
- भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना और भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार, निदेशक मंडल के नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) द्वारा वैध नामांकन भी जांच के अधीन होगा। जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना और भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रतिबंध प्रकृति में समान हैं, बैंक उम्मीदवारों की उपयुक्त एवं समुचित स्थिति का निर्धारण करते समय दोनों पर गंभीर विचार कर सकता है।
- बैंक नामांकन की जांच के समय या निदेशक मंडल की नामांकन और पारिश्रमिक समिति के निदेश पर उम्मीदवारों से उसकी उम्मीदवारी के संबंध में अन्य सूचनाएं, दस्तावेजों की मांग कर सकता है।
- यदि चुनाव द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों हेतु केवल एक वैध नामांकन प्राप्त होता है, तो नामित प्रत्याशी को निर्वाचित माना जाएगा और उसका नाम और पता, निर्वाचित के रूप में प्रकाशित किया जाएगा। नवनिर्वाचित निदेशक 2 दिसंबर, 2020 से कार्यभार ग्रहण करेंगे।
- यदि एक से अधिक वैध नामांकन प्राप्त होता है, तो चुनाव होगा और चुनाव में सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले प्रत्याशी को निर्वाचित माना जाएगा और उनका नाम समाचार पत्रों और बैंक की वेबसाइट में प्रकाशित किया जाएगा और स्टॉक एक्सचेंजों को भी सूचित किया जाएगा।

9. शेयरधारकों की सूची

जैसा कि यूको बैंक (शेयर एवं बैठकें) संशोधन विनियमन, 2003 के विनियम 64 यथासंशोधित में वर्णित है, शेयरधारकों की सूची की एक प्रति (इलेक्ट्रॉनिक रूप में अर्थात सीडी) कंपनी सचिव, यूको बैंक, वित्त विभाग, प्रधान कार्यालय, 2 इंडिया एक्सचेंज प्लेस, 3रा तल, कोलकाता-700001 के पास 27 अक्तूबर, 2020 से उपलब्ध होगी और वह यूको बैंक के पक्ष में कोलकाता में देय रु. 50,000/- (रुपये पचास हजार मात्र) के मांग ड्राफ्ट/भुगतान आदेश द्वारा शेयरधारकों के लिए खरीद हेतु उपलब्ध होगी। इच्छुक उम्मीदवार को उपर्युक्त सूची खरीदने के लिए यह वचन पत्र देना होगा कि उक्त सूची का उपयोग चुनाव में प्रचार के लिए किया जाएगा तथा उसका कोई अन्यथा उपयोग नहीं किया जाएगा।

शेयरधारकों का रजिस्टर शेयर अनुभाग, वित्त विभाग, प्रधान कार्यालय, 2, इंडिया एक्सचेंज प्लेस, 3रा तल, कोलकाता-700001 में सभी कार्य दिवसों (बैंक अवकाश छोड़कर) में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगा।



- The nomination forms and declaration form are as prescribed by the Regulation and as per the proforma annexed (The proforma is also available on the Bank's website (www.ucobank.com))

7. Submission of Nomination Forms

Shareholders desirous of contesting the election of the Directors of the Bank from amongst the shareholders, other than the Central Government should submit:

- Duly filled in Declaration Form as per the prescribed format;
- Nominations from minimum of hundred shareholders entitled to participate in the election;
- Declaration and Undertaking together with the connected documents, testimonials, viz. Bio-data, Certificate of Educational Qualifications, Experience, etc. in the formats annexed to the Notice;

in a sealed envelope addressed to the Company Secretary, Finance Department, UCO Bank, Head Office, 2, India Exchange Place, 3rd Floor, Kolkata - 700001 on any working day not less than fourteen days before the date fixed for the Extraordinary General Meeting i.e. on or before 5.00 p.m., on 11th November, 2020. The sealed envelope containing above documents shall be super scribed with "Nomination for Election of Director".

The said nomination forms and other documents should be complete in all respects failing which; the nominations are liable to be rejected.

8. Scrutiny of Nominations and Election of Directors:

- Nominations shall be scrutinized on 12th November, 2020, the first working day following the date fixed for the receipt of the nominations and in case any nomination is not found to be valid, the same shall be rejected after recording the reasons therefor.
- Valid Nominations shall also be subjected to scrutiny by the Nomination and Remuneration Committee (NRC) of the Board in terms of the RBI Notification and GOI Guidelines. As restriction imposed by RBI Notification and GOI Guidelines are similar in nature, the Bank may consider the stricter of the two while determining the Fit & Proper status of the Candidates.
- The Bank may at the time of scrutiny of Nominations or as advised by the NRC of the Board seek further information, documents from the candidates in support of his/her candidature.
- If there is only one valid nomination for the vacancy to be filled by the election, the candidate so nominated shall be deemed to be elected forthwith and his name and address shall be published as so elected. The newly elected director will assume office with effect from 2nd December, 2020.
- If there are more than one valid nominations, election will be held and candidates polling the majority of the votes at the election will be deemed to have been elected and their name will be published in newspapers and the website of the Bank and will also be informed to the Stock Exchanges.

9. List of Shareholders

As provided in Regulation 64 of the UCO Bank (Shares and Meetings) Amendment Regulations, 2003 as amended, a copy of the List of Shareholders (in electronic form i.e. (C.D)) will be available from the Company Secretary, UCO Bank, Head Office, Finance Department, No. 2 India Exchange Place, 3rd Floor, Kolkata-700001 of the Bank from 27th October, 2020 onwards for purchase by Shareholders on payment of Rs.50,000/- (Rupees Fifty Thousand only) by Demand Draft/Pay Order in favour of UCO Bank payable at Kolkata. The candidates desirous of purchasing the said list shall have to give an undertaking that the list will be used in canvassing for the election and shall not be used for any other purpose whatsoever.

The Register of Shareholders will be open for inspection at the Shares Section, Finance Department, Head Office, 2, India Exchange Place, 3rd floor, Kolkata - 700 001 on all working days (other than Bank Holidays) during office hours.



यदि की शेयरधारक किसी चुनिंदा/आंशिक भाग की जानकारी के लिए कॉपी या कंप्यूटर प्रिंट की आवश्यकता होती है तो उसे प्रत्येक 1000 शब्दों अथवा उसके भाग जिसकी प्रतियां निकाली जाती हैं, के लिए रु. 5/- (रुपये पाँच मात्र) की दर से राशि का पूर्व भुगतान करने पर प्रदान किया जाएगा।

10. नामांकन वापस लेना

यदि कोई भी उम्मीदवार अपना नामांकन वापस लेना चाहता है तो वह बैंक के बंद होने के समय अर्थात् 21 नवम्बर, 2020 शाम 5.00 बजे से पहले किसी भी समय एक पत्र या मेल भेजकर ऐसा कर सकता है।

11. दूरस्थ - ई वोटिंग

यदि किसी मौके पर चुनाव होता है तो इसे दूरस्थ ई-वोटिंग एवं बैठक में ई-वोटिंग के जरिए भेजा जाएगा। दूरस्थ - ई वोटिंग तथा इस सूचना के अभिन्न अंग बनाने के लिए अनुदेश इसी सूचना में प्रदान किया गया है। मतदान की पूरी प्रक्रिया बैंक द्वारा नियुक्त किए गए रिटर्निंग अधिकारी, जो इस उद्देश्य हेतु एक स्वतंत्र सलाहकर होता है, के द्वारा की जाएगी।

12. ईजीएम में ई-वोटिंग

ईजीएम में निदेशक के चुनाव हेतु ई-वोटिंग के माध्यम से वोटिंग संपन्न किया जाएगा जो इस संबंध में बैठक के अध्यक्ष द्वारा घोषणा किए जाने के तुरंत बाद किया जाएगा और यह दोपहर 12:30 बजे तक चलेगा। मतों की संख्या उनके द्वारा दिनांक 23 अक्तूबर, 2020 को खरीदे गए शेयरों की संख्या के बराबर होगी। इसके बाद वोटों की गिनती की जाएगी और बैठक के अध्यक्ष या इस संबंध में बैंक द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी द्वारा परिणामों की घोषणा की जाएगी जिसे समाचार-पत्र के साथ-साथ बैंक की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा तथा इसकी सूचना स्टॉक एक्सचेंजों को भी दी जाएगी।

13. ई-वोटिंग के लिए संवीक्षा

बैंक द्वारा नियुक्त रिटर्निंग अधिकारी चुनाव की पूरी प्रक्रिया का संचालन करेगा। उक्त उद्देश्य के लिए बैंक द्वारा नियुक्त मेसर्स एस एन अनंथासुब्रमनिया एवं कंपनी, कंपनी सचिव स्वतंत्र सलाहकार भी बैठक की कार्यसूची मर्दों के संबंध में रिमोट इवोटिंग और ई-वोटिंग दोनों के लिए संवीक्षक के रूप में कार्य करेंगे।

14. विवाद

यदि कोई विवाद हो तो इसका निपटान यूको बैंक (शेयरों एवं बैठकों) विनियम, 2003 के विनियम 67 के अनुसार किया जाएगा।

15. शेयर अंतरण एजेंटों के साथ पत्राचार

शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि अपने पंजीकृत पते या अन्य किसी प्रकार के विवरण में परिवर्तन से संबंधित सूचना, यदि कोई हो, डीमैट शेयरों के मामले में अपने निक्षेपागार सहभागी के माध्यम से एवं प्रत्यक्ष शेयरों के मामले में सीधे बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट को निम्नलिखित पते पर दें:

मेसर्स के फिन टेक्नोलॉजिस प्राइवेट लिमिटेड

यूनिट : यूको बैंक

कार्बी सेलेनियम टावर बी, प्लॉट 31-32, गचीबावली,

फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानाक्राम गुड़ा, हैदराबाद-500 032

दूरभाष : (040) 671612222; फ़ैक्स -(040)23420814

ऑनलाइन पूछताछ/शिकायत के लिए बैंक के शेयरधारक मेसर्स के फ़िंटेक टेक्नोलॉजिस प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट www.kfintech.com पर लॉग-इन करें और अपनी पूछताछ/शिकायत, यदि कोई हो, दर्ज कराने के लिए इवेस्टर्स सर्विसेस पृष्ठ पर क्लिक करें।



If any shareholder requires a copy or computer print of select/part information, the same shall be supplied to him on prepayment at the rate of Rs.5/- for every 1000 words or fractional part thereof required to be copied.

10. Withdrawal of Nominations

If any candidate desires to withdraw his nomination, he would be entitled to do so by sending a letter or Mail at any time prior to closing hours of the Bank i.e. 5.00 p.m., on 21st November, 2020

11. Remote - E Voting

In the event Elections are held, the same will be held through remote e-voting and e-voting at the meeting. Instructions for Remote E voting and the details thereof forming integral part of this notice is being provided elsewhere in this notice. The entire process of election would be conducted by the Returning Officer appointed by the Bank, an Independent Consultant (Scrutinizer) appointed for the said purpose.

12. E-voting at EGM

The voting for Election of Director at EGM shall be done through e-Voting and will commence immediately after an announcement in this regard made by the Chairman of the meeting and continue up to 12.30 p.m. The number of votes will be equivalent to the number of shares held by them on 23rd October, 2020. The tabulation of votes would be taken up thereafter and result will be announced by the Chairman of the Meeting or any other Official of the Bank authorized in this behalf and published in newspapers and the website of the Bank and will also be informed to the Stock Exchanges.

13. Scrutinizer for e-voting

The Returning officer appointed by the Bank would conduct the entire process of Election. M/s S.N. ANANTHASUBRAMANIAN & Co., Company Secretaries Independent Consultant appointed for the said purpose by the Bank shall also act as Scrutinizer for both remote evoting and e-voting in respect of the agenda items of the meeting

14. Disputes

If there is any dispute, the same will be settled as per Regulation 67 of the UCO Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003.

15. Communication with Share Transfer Agents

Shareholders are requested to intimate changes, if any, in their registered address or any other particulars through their Depository Participant in case of shares held in DEMAT form and in case of physical shares to the Registrar and Share Transfer Agent of the Bank at the following address :

M/s K Fin Technologies Private Limited,
Unit : UCO BANK,
Karvy Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli,
Financial District, Nanakramguda, Hyderabad - 500 032
Tel : (040) 671612222; Fax : (040)23420814

For on line queries/grievances, shareholders of the Bank may login on the website of M/s KFinTech Technologies Private Limited i.e., www.kfintech.com and click on Investor Services page to register their queries/grievances, if any.

**16. शेयर अनुभाग एवं निवेशक शिकायत कक्ष**

शेयरधारकों को त्वरित एवं बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए बैंक ने अपने प्रधान कार्यालय, कोलकाता में निवेशक शिकायत कक्ष की स्थापना की है। शेयरधारक एवं किसी भी प्रकार की सहायता के लिए निम्नलिखित पते पर इस कक्ष से संपर्क कर सकते हैं:

श्री एन पूर्ण चंद्र राव, कंपनी सचिव, शेयर अनुभाग एवं निवेशक शिकायत कक्ष, यूको बैंक, प्रधान कार्यालय : 2 इंडिया एक्सचेंज प्लेस (तीसरा तल्ला), कोलकाता - 700 001, दूरभाष: 033-44557227, फ़ैक्स : (033) - 22485625

17. सार

शेयरधारकों के लाभ के लिए प्रयोज्य धारा/योजना/विनियम/अधिसूचना के प्रासंगिक भाग को अनुबंध के रू में दिया गया है।

18. निदेशकों की अभिरुचि

बैंक के निदेशक अपनी शेयरधारिता तक एवं ऐसे निदेशक जो अपना नामांकन भरे हैं उनके संबंध में यह माना जाएगा कि वे उपर्युक्त कारबार के प्रति सचेत हैं या रुचि रखते हैं।

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 14-10-2020

निदेशक मंडल के आदेश से

हस्ता/-

(ए. के. गोयल)

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी



16. Share Section & Investors Grievance Cell

In order to facilitate quick and efficient service to the shareholders, the Bank has set up Investors Grievance Cell at its Head Office, Kolkata, Shareholders and investor may contact this Cell at the under mentioned address for any assistance :

Shri N Purna Chandra Rao, Company Secretary, Share Section & Investors Grievance Cell, UCO Bank, Head Office : 2, India Exchange Place (3rd Floor), Kolkata - 700 001, Telephone : 033-44557227, Fax : (033) - 22485625

17. Extracts

Extracts of the relevant portions of the applicable Act / Scheme / Regulations / Notification are annexed for the benefit of the shareholders.

18. Interest of Directors

Directors of the Bank to the extent of their shareholding and such Directors who file their nominations may be deemed to be concerned or interested in the aforesaid item of business.

Place : Kolkata
Date : 14-10- 2020

By Order of the Board Directors
sd/-
(A. K. Goel)
Managing Director & CEO



वीसी/ओवीएएम सुविधा के माध्यम से असाधारण आम बैठक में भाग लेने तथा रिमोट ई-वोटिंग सहित इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से पहुँच एवं वोटिंग करने के लिए सामान्य निदेश

1. कोविड-19 के कारण विनियामक निर्देश

कोविड-19 महामारी के प्रकोप के बाद सामाजिक दूरी के मानदंडों का पालन करने के लिए कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के परिपत्र सं. 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, परिपत्र सं. 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020 एवं परिपत्र सं. 20/2020 दिनांक 5 मई, 2020 ("एमसीए परिपत्र") तथा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड ("सेबी परिपत्र") द्वारा जारी परिपत्र सं. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/79 दिनांक 12 मई, 2020 द्वारा बैंक की असाधारण आम बैठक के संचालन में कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय तथा सेबी द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों का विधिवत रूप से पालन करने के लिए असाधारण आम बैठक विडियो कॉन्फ्रेंसिंग(वीसी) या अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओवीएएम) के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

बैठक के लिए प्रस्तावित स्थल यूको बैंक, प्रधान कार्यालय, 10 बीटीएम सरणी, कोलकाता-700 001 होगा।

2. वीसी के माध्यम से बैठक में शामिल होना

बैंक ने असाधारण आम बैठक के लिए विडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा उपलब्ध कराने तथा ईजीएम के संचालन के लिए उपस्थिति समर्थ करने हेतु मेसर्स केफिन टेक्नोलॉजिस प्राइवेट लिमिटेड को रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट नियुक्त किया है।

सदस्य नोटिस में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करते हुए बैठक शुरू होने के निर्धारित समय से 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद तक वीसी मोड में ईजीएम में शामिल हो सकते हैं।

वीसी/ओवीएएम के माध्यम से असाधारण आम बैठक में भागीदारी की सुविधा पहले आए पहले पाएं के आधार पर कम से कम 1000 सदस्यों के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। इस प्रतिबंध में बड़े शेयरधारक (2% या अधिक हिस्सेदारी वाले शेयरधारक), प्रोमोटर, संस्थागत निवेशक, निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, लेखा परीक्षा समिति, नामांकन और पारिश्रमिक समिति तथा हितधारक संबंध समिति के अध्यक्ष, लेखा परीक्षक आदि शामिल नहीं होंगे जिन्हें पहले आए पहले पाएं के आधार पर प्रतिबंध के बिना असाधारण आम बैठक में भाग लेने की अनुमति दी गई है।

3. उपस्थिति

वीसी/ओवीएएम के माध्यम से वार्षिक आम बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों की उपस्थिति को कोरम की गणना के उद्देश्य से गिना जाएगा।

4. प्रॉक्सी और प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति

सेबी के परिपत्र में निहित विषय-वस्तु के अनुसार तथा वीसी के माध्यम से आयोजित बैठक के मद्देनजर, सदस्यों को मत देने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करने की सुविधा इस ईजीएम के लिए समाप्त कर दी गई है।

तथापि, निगमित निकाय वीसी के माध्यम से असाधारण आम बैठक में भाग लेने के लिए प्राधिकृत प्रतिनिधियों को नियुक्त करने और उसके बाद ई-वोटिंग के माध्यम से मत डालने के हकदार हैं। इस संबंध में, संबंधित बोर्ड संकल्प की स्कैन प्रति तथा मत करने के लिए प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता(ओं) के सत्यापित हस्ताक्षर संवीक्षक को ई-मेल से scrutinizer@snaco.net पर भेज दी जाए और इसकी प्रति evoting@kfintech.com और hosgr.calcutta@ucobank.co.in पर बैठक की तिथि से कम से कम चार दिन पहले अर्थात् 21 नवम्बर, 2020 को साँय 5:00 बजे से पहले जमा करा दी जाए।

बैंक के किसी कर्मचारी या अधिकारी को यूको बैंक (शेयर और बैठक) विनियमन, 2003 के प्रावधानों के अनुसार प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है।

5. विडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ईजीएम में भाग लेने हेतु शेयरधारकों के लिए निर्देश

- मेसर्स केफिन टेक्नोलॉजिस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा उपलब्ध कराए गए विडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से सदस्य को ईजीएम में भाग लेने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। सदस्य <https://emeetings.kfintech.com> पर जाकर विडियो कॉन्फ्रेंस पर क्लिक कर दूरस्थ ई-वोटिंग पहचान का उपयोग करके शेयरधारकों/सदस्यों पर लॉग-इन कर सकते हैं।



GENERAL INSTRUCTIONS FOR ACCESSING AND PARTICIPATING IN THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING (EGM) THROUGH VC/OAVM FACILITY AND VOTING THROUGH ELECTRONIC MEANS INCLUDING REMOTE E-VOTING

1. Regulatory Instructions Due to COVID-19

To comply with social distancing norms following outbreak of the COVID-19 pandemic, the Extraordinary General Meeting will be held through Video Conferencing (VC) or Other Audio Visual Means (OAVM) pursuant to the Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, Circular No.17/2020 dated April 13, 2020, issued by the Ministry of Corporate Affairs followed by Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020 and Circular no. 33/2020 dated September 28, 2020 ("MCA Circulars") and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12th May, 2020 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circular") duly following the guidelines issued by Ministry of Corporate Affairs and SEBI in conducting Extraordinary General Meeting of the Bank.

The deemed venue for the meeting shall be UCO Bank Head Office, 10, BTM Sarani, Kolkata-700001.

2. Joining of Meeting through VC

Bank has appointed M/s. KFin Technologies Private Limited, Registrars & Transfers Agents, to provide Video Conferencing facility for EGM and the attendant enablers for conducting of EGM.

The Members can join the EGM in the VC mode 15 minutes before and after the scheduled time of the commencement of the Meeting by following the procedure mentioned in the Notice.

The facility of participation at the EGM through VC/OAVM will be made available for at least 1000 members on first come first served basis. This restriction will not include large Shareholders (Shareholders holding 2% or more shareholding), Promoters, Institutional Investors, Directors, Key Managerial Personnel, the Chairpersons of the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee and Stakeholders Relationship Committee, Auditors etc. who are allowed to attend the EGM without restriction on account of first come first served basis.

3. Attendance

The attendance of the Members attending the EGM through VC/OAVM will be counted for the purpose of reckoning the quorum.

4. Appointment of Proxy and Authorised Representative

In line with SEBI Circular and in view of the meeting conducted through VC, the facility to appoint proxy to attend and cast vote for the members is dispensed for this EGM

However, the Body Corporates are entitled to appoint authorised representatives to attend the EGM through VC and participate thereat and cast their votes through e-voting. In this connection, scanned copy of relevant Board Resolution are required to be sent along with attested signature of the Authorized signatory(ies) who are authorized to vote, to the scrutinizer by email to scrutinizer@snaco.net with a copy marked to evoting@kfintech.com and hosgr.calcutta@ucobank.co.in, not less than four days before the date of the meeting on or before 5:00 PM of Saturday, the 21st November, 2020.

An employee or officer of the Bank cannot be appointed as authorized representative as per provisions of UCO Bank (Shares and Meetings) Regulation, 2003.

5. Instructions for shareholders for attending EGM through Video Conference

- Member will be provided with a facility to attend EGM through Video conferencing platform provided by M/s. KFin Technologies Private Limited. Members may access the same at <https://emeetings.kfintech.com> and click on the "Video Conference" and access the shareholders/members login by using the remote e-voting credentials.



- ईजीएम के लिए लिंक दूरस्थ ई-वोटिंग पहचान का उपयोग करके शेयरधारक/सदस्य लॉग-इन में उपलब्ध होगा। ईजीएम के लिए लिंक शेयरधारक/सदस्यों के लॉग-इन में उपलब्ध होगा, जहां इवेंट और यूको बैंक को चुना जाता है।
- कृपया ध्यान दें कि जिन सदस्यों के पास ई-वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं है और उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं, वे अंतिम मिनट की भीड़ से बचने के लिए नोटिस में उल्लिखित दूरस्थ ई-वोटिंग निर्देशों का पालन करके इसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं।
- सदस्य बेहतर अनुभव के लिए गूगल क्रोम के साथ लैपटाप के माध्यम से बैठक में शामिल हो सकते हैं।
- इसके अतिरिक्त बैठक के दौरान किसी भी गड़बड़ी से बचने के लिए सदस्यों को एक अच्छी गति के साथ इंटरनेट का उपयोग करना आवश्यक होगा।
- कृपया ध्यान दें कि मोबाइल हॉटस्पॉट के माध्यम से मोबाइल डिवाइस या टैबलेट या लैपटाप कनेक्ट होने वाले प्रतिभागियों को अपने नेटवर्क में उतार-चढ़ाव के कारण ऑडियो/विडियो सुनाई या दिखाई नहीं देने का अनुभव हो सकता है। इसलिए किसी भी प्रकार की उक्त खामियों को कम करने के लिए स्थिर वाई-फाई या लैन कनेक्शन का उपयोग करने के लिए सलाह दी जाती है।

6. विडियो कोन्फ्रेंस के माध्यम से ईजीएम में भाग लेने हेतु शेयरधारकों के लिए निर्देश

बैठक में बोलने के इच्छुक शेयरधारकों को कैमरा सक्रिय करने की आवश्यकता होगी और इस हेतु बैठक के दौरान किसी भी गड़बड़ी से बचने के लिए एक अच्छी गति के इंटरनेट का उपयोग करें। सदस्य 'स्पीकर पंजीकरण' के तहत ही पोर्टल में दिए गए विकल्प के माध्यम से अग्रिम में अपना वीडियो रिकॉर्ड कर अपलोड कर सकते हैं। चूंकि एजेंडा आइटम केवल एक शेयरधारक निदेशक का चुनाव है, इसलिए बैठक का अध्यक्ष यह तय करेगा कि शेयरधारकों को बैठक में बोलने की अनुमति दी जाए या नहीं। प्रश्नों की पोस्टिंग 23 नवंबर, 2020 (सुबह 10.00 बजे) से आरंभ होगी और 24 नवंबर, 2020 (शाम 5.00 बजे) बंद हो जाएगी।

7. इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा मतदान

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम 2014 (यथासंशोधित) के नियम 20 के अनुसार पठित एवं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित सेबी (सूचीकरण और प्रकटीकरण की आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 (यथासंशोधित) के विनियमन 44 के प्रावधानों तथा एमसीए परिपत्रों के अनुसरण में बैंक असाधारण आम बैठक में किए जाने वाले व्यवसाय के संबंध में अपने सदस्यों को दूरस्थ ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रहा है।

वे सदस्य जो सदस्यों के मत देने के अधिकार का निर्धारण करने के लिए निर्दिष्ट तारीख दिनांक 23 अक्टूबर, 2020 को शेयर धारण कर रहे हैं, मेसर्स केफिन टेक्नॉलोजिस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा उपलब्ध कराए गए ई- वोटिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से या ईजीएम में मतदान करने के हकदार होंगे। जो व्यक्ति निर्दिष्ट तारीख को सदस्य नहीं हैं वे केवल सूचना के उद्देश्य से इस नोटिस को समझें।

यूको बैंक (शेयर और बैठकें) विनियमन, 2003 के अनुसार संयुक्त धारकों के मामले में, जिस सदस्य का नाम कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर के अनुसार पहले प्रकट होगा, वह असाधारण आम बैठक में मत देने का हकदार होंगे, बशर्ते कि दूरस्थ ई- मतदान के जरिए मत पहले ही न डालें गए हों।

8. रिमोट ई-मतदान के लिए निर्देश

- दूरस्थ ई-मतदान के लिए प्रक्रिया और तरीके का विवरण नीचे दिया गया है। प्रारंभिक पासवर्ड ई-मेल में दिया गया है।
- दूरस्थ ई-वोटिंग के लिए <https://evoting.karvy.com> पर लॉगिन करें।
- बैंक के शेयरधारक अपना मत मूर्त या अमूर्त रूप में निर्दिष्ट तारीख अर्थात् 23 अक्टूबर, 2020 को शेयर धारित किए हुए हैं वे अपना मत इलेक्ट्रॉनिक रूप में दर्ज करा सकते हैं।



- The link for EGM will be available in shareholder/member login by using the remote e-voting credentials. The link for EGM will be available in shareholder/members login where the EVENT and UCO Bank can be selected.
- Please note that the members who do not have the User ID and Password for e-voting or have forgotten the User ID and Password may retrieve the same by following the remote e-Voting instructions mentioned in the notice to avoid last minute rush.
- Members are encouraged to join the Meeting through Laptops with Google Chrome for better experience.
- Further, Members will be required to use Internet with a good speed to avoid any disturbance during the meeting.
- Please note that participants connecting from Mobile Devices or Tablets or through Laptop connecting via Mobile Hotspot may experience Audio/Video loss due to fluctuation in their respective network. It is therefore recommended to use Stable Wi-Fi or LAN Connection to mitigate any kind of aforesaid glitches.

6. Facility for Speaker registration & Recording of questions prior to EGM:

Shareholders who wish to speak at the Meeting will be required to allow Camera, and hence use Internet with a good speed to avoid any disturbance during the meeting. The members can also record and upload their video in advance through the option provided in the same portal under "Speaker Registration". As the agenda item is only election of one shareholder director, the Chairman of the Meeting will decide as to whether to allow shareholders to speak at the Meeting. The posting of questions shall commence on 23rd November, 2020 (10.00 AM) and closed on 24th November, 2020 (5.00 PM) .

7. Voting through electronic means

Pursuant to the provisions Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations 2015 (as amended) read with Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules 2014, (as amended), and the MCA Circulars, the Bank is providing facility of remote e-voting to its Members in respect of the business to be transacted at the Extraordinary General Meeting.

The members, who are holding shares as on 23rd October, 2020, being the cut-off date fixed for determining voting rights of members, entitled to participate in the remote e-voting process, through the e-voting platform provided by KFin Technologies Private Limited or to vote at the meeting. Person who is not a member as on cut-off date should treat this notice for information purpose only.

In terms of UCO Bank (Shares and Meetings) Regulation 2003, in case of joint holders, the Member whose name appears first as per the Register of Members of the Company will be entitled to vote at the Extraordinary General Meeting provided the votes are not already cast through remote e-voting.

8. Instruction for remote e-voting

- i. The details of the process and manner for remote e-voting are given below. The initial pass word is provided in the body of the e-mail.
- ii. Log-in-to for Remote e-voting at <https://evoting.karvy.com>
- iii. Shareholders of the Bank holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e. 23rd October, 2020, may cast their vote electronically.



- iv. लॉगइन विवरण (यानी ईजीएम की नोटिस में उल्लिखित आईडी एवं पासवर्ड) दर्ज करें। आपका फोलियो नं./डीपी आईडी एवं ग्राहक आईडी ही आपका यूजर आईडी होगा।
- v. सही तरीके से विवरण भरने के पश्चात लॉगिन पर क्लिक करें।
- vi. अब आप पासवर्ड बदलने वाले पेज पर पहुंच जाएंगे, जहां आपको अपना पासवर्ड अनिवार्य रूप से बदलना पड़ेगा। नए पासवर्ड में कम से कम 8 अक्षर होंगे जिनमें कम से कम एक अपर केस (A-Z), एक लोअर केस (a-z) अक्षर, एक संख्या (0-9) और एक विशेष चिह्न होगा। सिस्टम द्वारा पहली बार लॉग इन करने पर पासवर्ड बदलने तथा संपर्क-विवरण, जैसे मोबाइल नंबर, ई-मेल आदि को अपडेट करने के लिए कहा जाएगा। आप गुप्त प्रश्न में जाकर अपनी पसंद का उत्तर दर्ज कर सकते हैं जिससे यदि आप पासवर्ड भूल जाएं तो उसे पुनः प्राप्त कर सकें। आपको सचेत किया जाता है कि किसी अन्य व्यक्ति के साथ अपना पासवर्ड साझा न करें एवं उसे गोपनीय रखने हेतु पूरी सावधानी बरतें।
- vii. आपको नए विवरण के साथ फिर से लॉगिन करना होगा।
- viii. सफल लॉग-इन पर, सिस्टम आपको ईवेंट, यूको बैंक का चयन करने के लिए संकेत देगा। मतदान पृष्ठ पर, आपके द्वारा निर्दिष्ट तारीख को धारित शेयरों की संख्या (जो वोटों की संख्या का प्रतिनिधित्व करती है) दिखाई देगी। यदि आप सभी मतों को संकल्प के पक्ष/विपक्ष में डालना चाहते हैं तो सभी शेयरों को दर्ज करें और 'पक्ष/विपक्ष', जैसी भी स्थिति हो, या आंशिक रूप से 'पक्ष' और आंशिक रूप से 'विपक्ष' पर क्लिक करें लेकिन 'पक्ष' और/या "विपक्ष" की कुल संख्या निर्दिष्ट तारीख को आपकी कुल शेयरहोल्डिंग से अधिक नहीं होनी चाहिए। आप 'अनुपस्थित' विकल्प का भी चयन कर सकते हैं लेकिन धारित शेयरों की गणना किसी भी पक्ष में नहीं की जाएगी।
- ix. एक उपयुक्त विकल्प चुनकर अपना मत डालें और सबमिट पर क्लिक करें। एक पुष्टीकरण बॉक्स प्रदर्शित किया जाएगा।
- x. कॉर्पोरेट/संस्थागत सदस्यों (अर्थात व्यक्तियों, एचयूएफ, एनआरआई आदि को छोड़कर) को प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता(ओं) के अभिप्रेमाणित नमूना हस्ताक्षर के साथ संबंधित बोर्ड संकल्प/प्राधिकार पत्र आदि की प्रमाणित प्रति की स्कैन की गई छवि (पीडीएफ/जेपीजी प्रारूप) को संवीक्षक को ईमेल पर scrutinizer@snaco.net भेजना होगा तथा अपने लॉग-इन में ई-वोटिंग मॉड्यूल में भी अपलोड करना होगा। उपरोक्त दस्तावेजों की स्कैन की गई छवि का नामकरण प्रारूप "यूको बैंक इवेंट सं." होगा।
- xi. निर्दिष्ट तारीख अर्थात 23 अक्टूबर, 2020 को शेयर धारित करने वाले शेयरधारक संकल्प के पक्ष या विपक्ष में अपना मत दे सकते हैं।
- xii. पुष्टि के लिए 'OK' पर या संशोधन करने हेतु 'CANCEL' पर क्लिक करें। एक बार पुष्टि करने के बाद आपको अपने मत के पुनःसंशोधन का मौका नहीं दिया जाएगा। मतदान अवधि के दौरान शेयरधारक कितनी भी बार लॉग इन कर सकते हैं, जब तक कि उन्होंने संकल्प पर मत न दे दिया हो।
- xiii. कई फोलियो/डीमैट खाते वाले शेयरधारक प्रत्येक फोलियो/डीमैट खाते के लिए अलग से मतदान प्रक्रिया का चयन करेगा।
- xiv. शेयरधारक द्वारा एक बार संकल्प पर अपना मत दे देने पर बाद में उसे पुनः संशोधित करने का मौका नहीं दिया जाएगा।
- xv. पोर्टल 23 नवम्बर, 2020 को सुबह 9.00 बजे से लेकर 25 नवम्बर, 2020 को शाम 5.00 बजे तक खुला रहेगा।
- xvi. ई- मतदान से संबंधित मामलों के लिए टोल फ्री 1800 345 4001 पर संपर्क करे या श्रीमान एस. वी. राजू, उप-महाप्रबंधक, मेस्सर्स केफिन टेक्नोलॉजीजस प्राइवेट लिमिटेड को संपर्क करे , फ़ोन - 91 40 6716 2222, ई-मेल: raju.sv@kfintech.com

9. ईजीएम के दौरान ई-वोटिंग हेतु सदस्यों के लिए निर्देश:

ईजीएम कार्यवाही के दौरान वीडियो स्क्रीन के बाएं कोने पर ई-वोटिंग "थंब साइन" अध्यक्ष के निर्देश पर सक्रिय किया जाएगा। शेयरधारक उन्हें "इंस्टापोल" पृष्ठ पर ले जाने के लिए उसी पर क्लिक करेंगे।



- iv. Enter the login credentials (i.e., user id and password mentioned in the notice of EGM). Your Folio No./DP ID & Client ID will be your user ID.
- v. After entering the details appropriately, click on LOGIN.
- vi. You will reach the Password change menu wherein you are required to mandatorily change your password. The new password shall comprise of minimum 8 characters with at least one upper case (A-Z), one lower case (a-z), one numeric value (0-9) and a special character. The system will prompt you to change your password and update any contact details like mobile, email etc. on first login. You may also enter the secret question and answer of your choice to retrieve your password in case you forget it. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.
- vii. You need to login again with the new credentials.
- viii. On successful login, the system will prompt you to select the EVENT i.e., UCO Bank. On the voting page, the number of shares (which represents the number of votes) held by you as on the cut-off date will appear. If you desire to cast all the votes assenting/dissenting to the resolution, enter all shares and click 'FOR'/ 'AGAINST' as the case may be or partially in 'FOR' and partially in 'AGAINST', but the total number in 'FOR' and/or 'AGAINST' taken together should not exceed your total shareholding as on the cut-off date. You may also choose the option 'ABSTAIN' and the shares held will not be counted under either head.
- ix. Cast your votes by selecting an appropriate option and click on 'SUBMIT'. A confirmation box will be displayed.
- x. Corporate/institutional members (i.e. other than individuals, HUF, NRI, etc.) are required to send scanned image (PDF/JPG format) of certified true copy of relevant board resolution/authority letter etc. together with attested specimen signature of the duly authorised signatory (ies) who is/are authorised to vote, to the Scrutinizer through email at scrutinizer@snaco.net and may also upload the same in the e-voting module in their login. The scanned image of the above documents should be in the naming format 'UCO BANK_EVENT No.'
- xi. Those holding shares as on the Cut-off Date i.e., 23rd October, 2020 can cast their vote in favour of or against the resolution.
- xii. Click OK to confirm else CANCEL to modify. Once you confirm, you will not be allowed to modify your vote. During the voting period, shareholders can login any number of times till they have voted.
- xiii. Shareholders holding multiple folios/demat account shall choose the voting process separately for each folios/demat account.
- xiv. Once the vote on the resolution is cast by the shareholder, he/she shall not be allowed to change it subsequently.
- xv. The Portal will be open for voting from: 9 a.m. on 23rd November, 2020 to 5 p.m. on 25th November, 2020
- xvi. In case of any queries related e-voting, call the toll free 1800 345 4001 or contact Mr. S.V Raju, Deputy General Manager, M/s K Fin Technologies Pvt. Ltd., Phone : +91 40 6716 2222, e-mail: raju.sv@kfintech.com

9. Instructions for members for e-voting during the EGM :

The e-voting "Thumb Sign" on the left hand corner of the video screen shall be activated upon instructions of the chairman during the meeting proceedings. Shareholders shall click on the same to take them to "instapoll" page.



सदस्यों को संकल्प पृष्ठ पर पहुंचने के लिए “इंस्टापोल” आइकन पर क्लिक करना है और संकल्प पर मतदान करने के लिए निर्देशों का पालन करना है।

केवल वे शेयरधारक, जो ईजीएम में उपस्थित हैं और जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से संकल्प पर अपना मत नहीं डाला है और अन्यथा उन्हें ऐसा करने से वंचित नहीं किया गया है, वे ईजीएम के दौरान उपलब्ध ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से मत डालने के लिए पात्र होंगे।

10. मतदान का अधिकार

अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (2ई) के अनुसार केंद्र सरकार के अलावा संबन्धित नए बैंक का कोई भी शेयरधारक बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मतदान अधिकारों के दस प्रतिशत से ज्यादा मताधिकार का प्रयोग करने का हकदार नहीं होगा, भले ही उसके पास कितने भी शेयर हों।

उपर्युक्त के अधीन, ई-मतदान की अंतिम तारीख अर्थात् 23 अक्टूबर, 2020 को शेयरधारक के रूप में पंजीकृत प्रत्येक शेयरधारक रिमोट ई-मतदान / ई-मतदान के माध्यम से मतदान में अपने द्वारा धारित प्रत्येक शेयर के लिए एक मत पाने का अधिकारी होगा।

विनियमन के विनियम 10 के अनुसार यदि कोई शेयर दो या ज्यादा व्यक्तियों के नाम में हो, तो जहां तक मतदान का संबंध है, रजिस्ट्रार में जिसका नाम पहले लिखा होगा उसे ही एकल धारक मान लिया जाएगा। अतः यदि शेयर संयुक्त धारकों के नाम में हों तो केवल पहले नामित व्यक्ति ही बैठक में उपस्थित होने का पात्र होगा और वही नामांकन करने, चुनाव लड़ने और मतदान करने का हकदार होगा।

विधिक प्रावधान

इस संबंध में लागू विभिन्न अधिनियम/योजना/विनियम/अधिसूचना के प्रावधान नीचे तालिका में दिये गए हैं:

अधिनियम/योजना/विनियम/ अधिसूचना	प्रावधान	संक्षिप्त विवरण
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949	धारा 16 (1)	उभयनिष्ठ निदेशकों का निषेध
	धारा 20	बैंक के किसी भी निदेशक की ओर से ऋण या अग्रिम की स्वीकृति पर प्रतिबंध।
	धारा 51	किसी नए बैंक पर अधिनियम की कुछ धाराओं की प्रयोज्यता
बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970	धारा 3(2ई)	वोट देने के अधिकार पर प्रतिबंध
	धारा 9(3)(i)	शेयरधारकों द्वारा चुने जाने वाले निदेशकों की संख्या
	धारा 9(3ए)(ए) से (सी) तक	कतिपय विषयों में विशेष ज्ञान
	धारा 9(3एए) धारा 9(3एबी)	कोई भी व्यक्ति निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगा/होगी जब तक कि उसे भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित ट्रैक रिकार्ड, सत्यनिष्ठा और अन्य किसी मानदंड पर उपयुक्त नहीं पाया जाता।



The members to click on the "Instapoll" icon to reach the resolution page and follow the instructions to vote on the resolution.

Only those shareholders, who are present in the EGM and have not casted their vote on the Resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting system available during the EGM.

10. Voting Rights

In terms of sub-section (2E) of Section 3 of the Act, no shareholder of the corresponding new Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.

Subject to the above, each shareholder who has been registered as a shareholder on the "e-voting Cut-off Date" i.e. on 23rd October, 2020 shall have one vote for each share held by him/her in Remote E-voting/E-voting at the EGM.

As per Regulation 10 of the Regulations, if any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof. Thus, if shares are in the name of joint holders, then first named person is only entitled to attend the meeting and is only eligible to nominate, contest and vote.

LEGAL PROVISIONS

The following table indicates the provisions contained in various Acts/Regulations /Scheme/Notifications applicable in this regard:

Acts/Scheme/Regulations/Notifications	Provisions	Short Particulars
The Banking Regulation Act, 1949	Section 16 (1)	Prohibition of Common Directors
	Section 20	Restrictions for granting loan or advance to or on behalf of any of its directors
	Section 51	Applicability of certain Sections of Act to a corresponding new bank
The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970	Section 3(2E)	Restriction on voting rights
	Section 9(3)(i)	No. of directors to be elected by the shareholders
	Section 9(3A)(A) to (C)	Special knowledge in certain fields
	Section 9(3AA) Section 9(3AB)	No person shall be eligible to be elected as director unless he is a person having fit and proper status based upon track record, integrity and such other criteria as RBI may prescribe.



अधिनियम/योजना/विनियम/ अधिसूचना	प्रावधान	संक्षिप्त विवरण
	धारा 9(3बी)	निर्वाचित निदेशक उक्त अधिनियम की धारा 9 (3ए) एवं 9 (3एए) की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करते हैं उन्हें हटाने का भारतीय रिज़र्व बैंक का अधिकार।
	धारा 13(2)	निष्ठा एवं गोपनीयता बरतने संबंधी कर्तव्य
राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970	खंड 9(4)	निर्वाचित निदेशकों का कार्यकाल
	खंड 10	बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचित होने की अयोग्यताएं
	खंड 11	निदेशक के कार्यभार को छोड़ना
	खंड 11ए	निर्वाचित निदेशक को पद से हटाया जाना
	खंड 11बी	निर्वाचित निदेशक के कार्यकाल में आकस्मिक रिक्ति को भरना
	खंड 12(8)	निदेशकों के हितों वाले कुछ व्यवस्थापनों पर निदेशकों द्वारा प्रकटीकरण
यूको बैंक (शेयर एवं बैठक) यथासंशोधित विनियमन, 2003	विनियम 10	संयुक्त धारकों के अधिकार का उपयोग
	विनियम 63	सामान्य बैठकों में चुने जाने वाले निदेशक
	विनियम 64	शेयरधारकों की सूची
	विनियम 65	चुनाव के लिए उम्मीदवारों का नामांकन
	विनियम 66	नामांकनों की जांच
	विनियम 67	चुनाव विवाद
	विनियम 68	मतदान अधिकारों का निर्धारण
	विनियम 69	विधिवत अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा मतदान किया जाना
	विनियम 70	परोक्षी
आरबीआई/डीबीआर//2019-20/71, मास्टर निदेश डीबीआर/ एपीपीटी सं. 9/ 29.67.001/ 2019 -20 दिनांक 02 अगस्त, 2019	बैंककारी कंपनियों (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9 (3 एए) तथा 9 (3एबी) के अनुसरण में	राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्ड में निर्वाचित निदेशकों के उपयुक्त एवं समूचित मानदंड



Acts/Scheme/ Regulations/Notifications	Provisions	Short Particulars
	Section 9(3B)	Right of RBI to remove a director so elected who does not fulfill the requirements of Section 9(3A) and 9 (3AA) of the said Act.
	Section 13(2)	Obligation as to fidelity and secrecy
The Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970	Clause 9(4)	Term of office of elected directors
	Clause 10	Disqualifications from being elected as a Director of the Bank
	Clause 11	Vacation of office of Director
	Clause 11A	Removal from office of an elected Director
	Clause 11B	Filling of casual vacancy in the office of an elected Director
	Clause 12(8)	Disclosure of interest by directors in certain arrangements in which they are interested
UCO Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003 as amended	Regulations 10	Exercise of rights of joint holders
	Regulations 63	Directors to be elected at General Meeting
	Regulations 64	List of Shareholders
	Regulations 65	Nomination of candidates for election
	Regulations 66	Scrutiny of nominations
	Regulations 67	Election disputes
	Regulations 68	Determination of voting rights
	Regulations 69	Voting by duly authorized representative
Regulations 70	Proxies	
RBI/DBR/2019-20/71, Master Direction DBR/APPT No.: 9/29.67.001/2019-20 dated August 2, 2019	Pursuant to Section 9(3AA) and Section 9(3AB) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970	Fit and Proper criteria for elected directors on the board of nationalized banks.



अधिनियम/योजना/विनियम/ अधिसूचना	प्रावधान	संक्षिप्त विवरण
भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग एवं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में गैर सरकारी निदेशक (एनओडी) के रूप में विचार के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड संदर्भ सं. एफ़.सं. 1618312013-बीओ.आई के माध्यम से पत्र दिनांक 3 सितंबर, 2013 25 मार्च, 2015 एवं 20 जुलाई, 2016 को जारी किया गया।		सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में गैर सरकारी निदेशक (एनओडी) के रूप में विचार के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड
भा.रि.बैं. मास्टर परिपत्र दिनांक 2 जून 2012 - (आरबीआई/2012-13/79 डीबीओडी सं. डीआईआर बीसी.4/13.03.00/2012-13)		निदेशकों के संबंधियों को ऋण एवं अग्रिम दिया जाना

शेयरधारकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अधिनियम/विनियम/योजना, भारत सरकार के निर्देशों के साथ-साथ भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना सं. आरबीआई/डीबीआर/2019-20/71, मास्टर निदेश डीबीआर/एपीपीटी सं. 9/29.67.001/2019-20 दिनांक 2 अगस्त, 2019 और भारत सरकार के दिशानिर्देश 25 मार्च, 2015 तथा 20 जुलाई, 2016 से संबंधित उद्धरणों को बैंक की वेबसाइट - www.ucobank.com पर दिया गया है। नामांकन के लिए निर्धारित तारीख यानि 11 नवम्बर, 2020 को या उससे पहले इच्छुक उम्मीदवारों द्वारा hosgr.calcutta@ucobank.co.in के पास अनुरोध ई-मेल किया गया है तो ऐसे उद्धरणों को उन्हें ई-मेल द्वारा भेजा जाएगा।



Acts/Scheme/ Regulations/Notifications	Provisions	Short Particulars
Letter dated 3rd September, 2013 vide Ref. F.No.1618312013-BO.I issued by Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services and Criteria laid down by the Central Government for consideration as a Non Official Director (NOD) in Public Sector Banks issued on March 25, 2015 and 20th July 2016.		Criteria laid down by the Central Government for consideration as a Non Official Director (NOD) in Public Sector Banks
RBI Master Circular dated 2nd June, 2012 - (RBI/2012-13/79 DBOD.No. Dir.BC.4/13.03.00/2012-13)		Granting loans and advances to relatives of Directors

For the convenience of the shareholders, the relevant extracts from the Act, Regulation, the Scheme/ GOI guidelines as well as RBI Notifications No. RBI/DBR/2019-20/71, Master Direction DBR/APPT No.: 9/29.67.001/2019-20 dated August 2, 2019 and GOI Guidelines dated 25 March 2015 and 20th July 2016 will be hosted in the Bank's website. www.ucobank.com. Such extracts will also be e-mailed to the intending candidates on receipt of a request by e-mail at hosgr.calcutta@ucobank.co.in on or before the last date fixed for submission of nomination forms viz. 11th November, 2020.



प्रासंगिक अधिनियमों, योजना तथा विनियमों आदि के उद्धरण - निदेशकों का चुनाव

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 के खंड 9(3)(i) के अनुसरण में अधिनियम की धारा 3 के उप-धारा (2बी) के खंड (सी) के अंतर्गत जारी पूंजी के अनुरूप शेयरधारक निदेशक नियुक्त किए जाएंगे।

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन तथा विविध प्रावधान) अधिनियम, 1970 यूको बैंक (शेयर तथा बैठकें) अधिनियम, 2003 के प्रासंगिक विनियमों को क्रमशः शेयरधारकों की सूचना के लिए नीचे दर्शाया गया है।

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949

ए. सामान्य निदेशकों की निषेधाज्ञा - धारा 16(1)

भारत में किसी भी बैंकिंग कंपनी के निदेशक मंडल में ऐसे निदेशक नहीं रहेंगे जो किसी अन्य बैंकिंग कंपनी के निदेशक हैं।

बी. ऋण धारा अग्रिम के संबंध में प्रतिबंध- धारा 20

1. कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 77 में कुछ भी निहित नहीं होने के बावजूद, कोई बैंककारी कंपनी -

(ए) अपने शेयर के प्रतिभूति पर कोई ऋण या अग्रिम प्रदान नहीं करेगी, अथवा

(बी) निम्नलिखित की ओर से किसी ऋण या अग्रिम प्रदान करने के लिए कोई प्रतिबद्धता नहीं की जानी चाहिए

(i) कंपनी का कोई निदेशक,

(ii) कोई ऐसा फर्म जिसमें इसके निदेशक भागीदार, प्रबंधक, कर्मचारी या गारंटीकर्ता के रूप में हित रखते हों, अथवा

(iii) कोई कंपनी [बैंककारी कंपनी या बैंककारी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के धारा 25 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनी या सरकारी कंपनी का अनुषंगी न हो] जिसमें से 2 [जिनमें से या सहायक या नियंत्रक कंपनी] बैंककारी कंपनी के निदेशकों में से कोई एक निदेशक, प्रबंध एजेंट, प्रबंधक, कर्मचारी या गारंटीकर्ता या जिसमें वह बहुत अधिक हित रखते हों, या

(iv) कोई व्यक्ति जिससे इसके निदेशक एक भागीदार या गारंटीकर्ता हो।

2. अगर किसी बैंककारी कंपनी द्वारा मंजूर ऋण या अग्रिम इस प्रकृति का है जिस दिन ऋण या अग्रिम प्रदान किया गया था उस तिथि को उप धारा (1) के खंड (ख) के लागू होने की स्थिति में उसे मंजूर करने का वचन नहीं दिया जा सकता था अथवा वह किसी बैंककारी कंपनी द्वारा बैंकिंग विधि (संशोधन) अधिनियम, 1968 (1968 का 58) के आरंभ होने के उपरांत किंतु ऐसे प्रारंभ के पूर्व हुई वचनबद्धता के अनुसरण में मंजूर किया गया हो तो बैंककारी कंपनी को मूल रकम पर देय ब्याज, यदि कोई हो, सहित ऋण या अग्रिम देते समय निर्धारित अवधि के भीतर या जहां ऐसी कोई अवधि निर्धारित न की गई हो, वहाँ उक्त धारा 5 के प्रारंभ से एक वर्ष पूरा होने के पूर्व, वसूली हेतु उपाय किये जाने चाहिए।

बशर्त भारतीय रिजर्व बैंक, बैंककारी कंपनी द्वारा इस संदर्भ में उसके पास किये गये लिखित आवेदन पर किसी मामले में ऋण या अग्रिम की वसूली अवधि को ऐसी तिथि तक बढ़ा सकता है जो उपर्युक्त धारा 5 के प्रारंभ होने से तीन वर्ष से अधिक की अवधि की तिथि न हो। यह विस्तार ऐसी शर्तों एवं निबंधनों के अधीन होगा जिन्हें रिजर्व बैंक उचित समझे।

इसके अतिरिक्त यह भी शर्त है कि यह उप धारा संबंधित निदेशक द्वारा चाहे वह मृत्यु, सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र या अन्य किसी कारण से बैंककारी कंपनी के निदेशक का पद रिक्त करने पर लागू नहीं होगी।

3. उप धारा (2) या उसके किसी भी भाग में उल्लिखित कोई भी ऋण या अग्रिम रिजर्व बैंक के पूर्वानुमोदन के बिना प्रेषित नहीं किया जाएगा तथा ऐसे अनुमोदन के बिना की गई कोई भी छूट/माफी अमान्य एवं अप्रभावी होगी।



EXTRACTS OF RELEVANT ACTS, SCHEME AND REGULATIONS ETC. - ELECTION OF DIRECTORS

In terms of Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Shareholder Directors shall have to be appointed upon the extent of capital issued under clause (c) of sub-section (2B) of Section 3 of the Act.

The relevant sections of the Banking Regulations Act, 1949, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 and the relevant regulations of UCO Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003 respectively in this regard, are reproduced below for the information of the shareholders.

THE BANKING REGULATION ACT, 1949

A. Prohibition of common Directors- Section 16(1)

No banking company incorporated in India shall have as a Director in its Board of Directors any person who is a Director of any other banking company.

B. Restrictions on loans and advances - Section 20

1. Notwithstanding anything to the contrary contained in section 77 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), no banking company shall,-
 - (a) grant any loans or advances on the security of its own shares, or-
 - (b) enter into any commitment for granting any loan or advance to or on behalf of-
 - (i) any of its Directors,
 - (ii) any firm in which any of its Directors is interested as partner, manager, employee or guarantor, or
 - (iii) any company [not being a subsidiary of the banking company or a company registered under section 25 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), or a Government company] of which 2 [or the subsidiary or the holding company of which] any of the Directors of the banking company is a Director, Managing agent, manager, employee or guarantor or in which he holds substantial interest, or
 - (iv) any individual in respect of whom any of its Directors is a partner or guarantor.
2. Where any loan or advance granted by a banking company is such that a commitment for granting it could not have been made if clause (b) of sub-section (1) had been in force on the date on which the loan or advance was made, or is granted by a banking company after the commencement of section 5 of the Banking Laws (Amendment) Act, 1968(58 of 1968), but in pursuance of a commitment entered into before such commencement, steps shall be taken to recover the amounts due to the banking company on account of the loan, or advance together with interest, if any, due thereon within the period stipulated at the time of the grant of the loan or advance, or where no such period has been stipulated, before the expiry of one year from the commencement of the said section 5:

PROVIDED that the Reserve Bank may, in any case, on an application in writing made to it by the banking company in this behalf, extend the period for the recovery of the loan or advance until such date, not being a date beyond the period of three years from the commencement of the said section 5, and subject to such terms and conditions, as the Reserve Bank may deem fit:

PROVIDED FURTHER that this sub-section shall not apply if and when the Director concerned vacates the office of the Director of the banking company, whether by death, retirement, resignation or otherwise.
3. No loan or advance, referred to in sub-section (2), or any part thereof shall be remitted without the previous approval of the Reserve Bank, and any remission without such approval shall be void and of no effect.



4. जहां उप धारा 2 में संदर्भित कोई ऋण या अग्रिम किसी भी व्यक्ति द्वारा देय हो तो उक्त उप धारा में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर बैंककारी कंपनी को चुकौती न किये जाने की स्थिति में ऐसे व्यक्ति को, यदि वह बैंककारी कंपनी का निदेशक है, उक्त अवधि की समाप्ति की तिथि को ऐसा होने की स्थिति में यह माना जाएगा कि जैसे उसने उक्त तिथि को अपना पद रिक्त कर दिया हो।

व्याख्या- इस धारा में

(ए) "ऋण या अग्रिम" में कोई भी ऐसा लेन-देन शामिल नहीं होगा जिसे रिजर्व बैंक लेन-देन के स्वरूप, उक्त लेन-देन के कारण देय होने वाली किसी रकम की वसूली के संभाव्य समय एवं उसकी विधि तथा परिस्थितियों, जमाकर्ताओं के हितों और प्रासंगिक प्रतिफलों पर विचार करते हुए इस धारा के प्रयोजन हेतु ऋण या अग्रिम न होने का सामान्य या विशेष आदेश के द्वारा उल्लेख कर सके।

(बी) "निदेशक" से तात्पर्य है, प्रबंध करने के उद्देश्य से अथवा प्रबंधन हेतु सभी या उसके किसी कार्य के संबंध में सलाह देने के उद्देश्य से भारत में बैंककारी कंपनी द्वारा गठित किसी मंडल या समिति का सदस्य।

5. अगर ऐसा कोई प्रश्न उठता है कि क्या कोई लेन-देन ऋण या अग्रिम है, तो इस धारा के प्रयोजन हेतु मामला भारतीय रिजर्व बैंक को प्रेषित किया जाएगा और उस पर उसका निर्णय अंतिम होगा।

सी. भारतीय स्टेट बैंक और अन्य अधिसूचित बैंकों के लिए कुछ प्रावधानों के आवेदन - धारा 51

(1) भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 (1955 का 23) या किसी अन्य अधिनियम के प्रावधानों के प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उप-धारा (3) 29ए धारा 30, 31, 34, 35, 35ए, 35एबी एवं 36 [उप धारा (1) के खंड (डी) को छोड़कर 45वाई से 45जेडएफ, 46 से 48, 50, 52 एवं 53 को छोड़कर धारा 10, 13 से 15, 17, 19 से 21ए, 23 से 28, 29 के प्रावधान लागू होंगे; अब तक भारतीय स्टेट बैंक या किसी भी संबंधित नए बैंक या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या किसी अनुषंगी बैंक के संबंध में, जैसा कि वे लागू होते हैं और बैंकिंग कंपनियों के संबंध में हो सकता है:

बशर्ते कि -

(ए) धारा 10 की उप-धारा (1) के खंड (सी) में शामिल कुछ भी भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष के लिए या किसी अनुषंगी बैंक के 2 [प्रबंध निदेशक] पर लागू नहीं होगा, जहां तक रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित किसी भी संस्थान में एक निदेशक या एक कार्यालय का निदेशक को उक्त खंड से उन्हें बाहर रखा गया है;

(बी) धारा 20 के उप-धारा (1) के उपखंड (बी) के उप-खंड (iii) में निहित कुछ भी उप-धारा (1) में निर्दिष्ट किसी भी बैंक पर लागू नहीं होगा, अब तक क्लॉज (बी) के उप उपखंड (iii) में यह कहा गया है कि बैंक को किसी भी ऋण या अग्रिम को देने या उस कंपनी (सरकारी कंपनी नहीं हो) की ओर से किसी भी प्रतिबद्धता में प्रवेश करने से रोकने के लिए प्रदत्त पूंजी का चालीस प्रतिशत से कम केंद्र सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक या उस बैंक के स्वामित्व वाला निगम के पास हो (चाहे अकेले हों या एक साथ हों); तथा

(सी) धारा 46 या धारा 47 ए में शामिल कुछ भी लागू नहीं होगा,

(i) केंद्र सरकार या रिजर्व बैंक का एक अधिकारी, जिसे भारतीय स्टेट बैंक या किसी भी संबंधित नए बैंक या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या किसी अनुषंगी बैंक या बैंककारी कंपनी के निदेशक के रूप में नामित या नियुक्त किया जाता है;

(ii) भारतीय स्टेट बैंक या किसी संबंधित नए बैंक या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या अनुषंगी बैंक में नामित या नियुक्त उक्त बैंक या बैंककारी कंपनी में से किसी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है (उस बैंक का वह अधिकारी नहीं हो)

(2) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान से संबंधित किसी भी नियम या दिशा में एक बैंकिंग कंपनी का संदर्भ, जहां इस नियम को छोड़कर या अप्रत्यक्ष रूप से अन्यथा, भारतीय स्टेट बैंक, एक इसी नए बैंक, एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और एक सहायक बैंक को भी संदर्भित किया जाता है।



4. Where any loan or advance referred to in sub-section (2), payable by any person, has not been repaid to the banking company within the period specified in that subsection, then, such person shall, if he is a Director of such banking company on the date of the expiry of the said period, be deemed to have vacated his office as such on the said date.

Explanation - In this section-

- (a) "loans or advance" shall not include any transaction which the Reserve Bank may, having regard to the nature of the transaction, the period within which, and the manner and circumstances in which, any amount due on account of the transaction is likely to be realised, the interest of the depositors and other relevant considerations, specify by general or special order as not being a loan or advance for the purpose of this section;
- (b) "Director" include a member of any board or committee in India constituted by a banking company for the purpose of Managing, or for the purpose of advising it in regard to the management of, all or any of its affairs.
5. If any question arises whether any transaction is a loan or advance for the purposes of this section, it shall be referred to the Reserve Bank, whose decision thereon shall be final.

C. Applications of certain provisions to the State Bank of India and other notified banks -Section 51

- (1) Without prejudice to the provisions of the State Bank of India Act, 1955(23 of 1955) or any other enactment, the provisions of sections 10, 13 to 15, 17, 19 to 21A, 23 to 28, 29 excluding sub-section (3,) 29A, sub-section (1B), (1C) and (2) of sections 30, 31, 34, 35, 35A, 35AA, 35AB and 36 [excluding clause(d) of sub-section(1)] 45Y to 45ZF, 46 to 48] 50, 52 and 53 shall also apply; so far as may be, to and in relation to the State Bank of India or any corresponding new bank or a Regional Rural Bank or any subsidiary bank as they apply to and in relation to banking companies:

Provided that -

- (a) nothing contained in clause (c) of sub-section (1) of section 10 shall apply to the Chairman of the State Bank of India or to a 2 [Managing Director] of any subsidiary bank insofar as the said clause precludes him from being a Director of, or holding an office in, any institution approved by the Reserve Bank;
- (b) nothing contained in sub-clause (iii) of clause (b) of sub-section (1) of section 20 shall apply to any bank referred to in sub-section (1), insofar as the said sub-clause (iii) of clause (b) precludes that bank from entering into any commitment for granting any loan or advance to or on behalf of a company (not being a Government company) in which not less than forty per cent of the paid-up capital is held (whether singly or taken together) by the Central Government or the Reserve Bank or a corporation owned by that bank; and
- (c) nothing contained in section 46 or in section 47A shall apply to, -
- (i) an officer of the Central Government or the Reserve Bank, nominated or appointed as Director of the State Bank of India or any corresponding new bank or a Regional Rural Bank or any subsidiary bank or a banking company; or
- (ii) an officer of the State Bank of India or a corresponding new bank or a Regional Rural Bank or a subsidiary bank nominated or appointed as Director of any of the said banks (not being the bank of which he is an officer) or of a banking company.
- (2) References to a banking company in any rule or direction relating to any provision of this Act referred to in sub-section (1) shall, except where such rule or direction provides otherwise, be construed as referring also to the State Bank of India, a corresponding new bank, a Regional Rural Bank and a subsidiary bank.



बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970

मताधिकार को सीमित करना

धारा 3(2ई): केंद्र सरकार के अलावा किसी अन्य नए बैंक का कोई भी शेयरधारक, उसके द्वारा संबंधित नए बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल वोटिंग अधिकारों के दस प्रतिशत से अधिक के किसी भी शेयर के संबंध में मतदान के अधिकार का प्रयोग करने के लिए पात्र नहीं होगा।

निदेशक मंडल का संगठन

धारा 9(3)(i) : जहां धारा (3) की उप धारा (2बी) के खंड (सी) के अंतर्गत निर्गमित पूंजी -

- (I) कुल प्रदत्त पूंजी के सोलह प्रतिशत से अधिक नहीं हो, तो एक से अधिक निदेशक नहीं;
- (II) कुल प्रदत्त पूंजी के सोलह प्रतिशत से अधिक परंतु बत्तीस प्रतिशत से अधिक नहीं हो, तो दो से अधिक निदेशक नहीं;
- (III) कुल प्रदत्त पूंजी के बत्तीस प्रतिशत से अधिक हो, तो केंद्र सरकार को छोड़कर तीन निदेशक से अधिक नहीं हो, जो शेयरधारकों द्वारा अपने बीच में से निर्वाचित किए जाएंगे।

बशर्ते कि इस खंड के तहत ऐसे किसी निदेशक के निर्वाचन के उपरांत उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण कर लेने पर, खंड (एच) के अंतर्गत जितने निदेशक नामांकित हैं उतने निदेशक इस योजना में यथा निर्दिष्ट तरीके से सेवानिवृत्त होंगे।

आगे बशर्ते कि यदि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) और वित्तीय संस्थाएं कानून (संशोधन) अधिनियम, 2006 के आरंभ होने पर अथवा उससे पहले, अनुरूप नए बैंक में निर्वाचित निदेशकों की संख्या उप-खंड (i) या उप-खंड (ii) या उप-खंड (iii) जैसा भी मामला हो, में निर्दिष्ट निदेशकों की संख्या से अधिक हो तो ऐसे अधिक संख्यक निदेशक जो यह कानून आरंभ होने के पूर्व निर्वाचित हुए हैं इस तरह से सेवानिवृत्त होंगे जैसा इस योजना में निर्दिष्ट किया गया है और ऐसे निदेशक उनके कार्यकाल के समय से पूर्व सेवानिवृत्त के लिए किसी भी क्षतिपूर्ति दावे के हकदार नहीं होंगे।

धारा 9(3ए): उक्त खंड (i) के अंतर्गत निर्वाचित किए जाने वाले निदेशक

- (ए) निम्नलिखित विषयों में से एक या एक से अधिक के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले होंगे -

- (i) कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था
- (ii) बैंकिंग,
- (iii) सहकारिता,
- (iv) अर्थशास्त्र,
- (v) वित्त,
- (vi) विधि,
- (vii) लघु उद्योग,

- (viii) अन्य कोई विषय जिसमें विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव जो भारतीय रिजर्व बैंक की राय में अनुसूच नए बैंक के लिए उपयोगी हो।

अधिनियम की धारा 9 (3AA) की शर्तों के अनुसार बैंक का कोई शेयरधारक उम्मीदवार जो बैंक का निदेशक बनने को इच्छुक हो, उसे अधिसूचना में वर्णित मानदंड के अनुसार "उपयुक्त एवं समुचित" हैसियत वाला व्यक्ति होना चाहिए। इसके अतिरिक्त निर्वाचित निदेशकों को संविदा विलेख निष्पादित करना होगा तथा उन्हें इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित वार्षिक घोषणा प्रस्तुत करनी होगी।

(बी) जमाकर्ताओं के हित का प्रतिनिधित्व करता हो; या

(सी) किसानों, कामगारों और कारीगरों के हित का प्रतिनिधित्व करता हो।

धारा 9(3एए): उप धारा 3(ए) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और इस अधिनियम अथवा प्रचलित कानून में अन्य बातों के होते हुए भी बैंक निदेशक बनने के इच्छुक किसी उम्मीदवार को उप धारा 3 के खंड (i) के अधीन इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी ट्रेक रिकार्ड, सत्यनिष्ठा और अन्य मानदंडों के अनुसार "उपयुक्त एवं समुचित" स्थिति में होना चाहिए।



THE BANKING COMPANIES (ACQUISITION AND TRANSFER OF UNDERTAKINGS) ACT, 1970

Restrictions on voting rights

Section 3(2E): No shareholder of the corresponding new bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him in excess of ten percent of the total voting rights of all the shareholders of the corresponding new bank.

Composition of the Board of Directors

Section 9(3)(i): Where the capital issued under clause (c) of sub-section (2B) of section (3) is-

- (I) not more than sixteen per cent of the total paid-up capital, not more than one director;
- (II) more than sixteen per cent but not more than thirty two per cent of the total paid-up capital, not more than two directors,
- (III) more than thirty two per cent of the total paid-up capital, not more than three directors, to be elected by the shareholders, other than the Central Government, from amongst themselves:

PROVIDED that on the assumption of charge after election of any such director under this clause, equal number of directors nominated under clause (h) shall retire in such manner as may be specified in the scheme.

PROVIDED FURTHER that in case the number of directors elected, on or before the commencement of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) and Financial Institutions Laws (Amendment) Act, 2006 in a corresponding new Bank exceed the number of directors specified in sub-clause (I) or sub - clause (II) or sub - clause (III), as the case may be, such excess number of directors elected before such commencement shall retire in such manner as may be specified in the scheme and such directors shall not be entitled to claim any compensation for the premature retirement of their term of office.

Section 9(3A): The Directors to be elected under the said clause (i) shall-

- (A) have special knowledge or practical experience in respect of one or more of the following matters namely,-
 - (i) agricultural and rural economy,
 - (ii) banking,
 - (iii) co-operative,
 - (iv) economics,
 - (v) finance,
 - (vi) law,
 - (vii) small scale industry,
 - (viii) any other matter the special knowledge of, and practical experience in, which would, in the opinion of the Reserve Bank, be useful to the corresponding new bank;

RBI vide its circular no.DBR.Appt.BC.No.39/29.39.001/2016-17 dated November 24, 2016 has extended the fields of specialization to include (i) Information Technology (ii) Payment & Settlement Systems (iii) Human Resources (iv) Risk Management and (v) Business Management, for persons who could be considered for appointment of director in the banks.

- (B) represent the interests of depositors; or
- (C) represent the interest of farmers, workers and artisans.

Section 9(3AA): Without prejudice to the provisions of sub section (3A) and notwithstanding anything to the contrary contained in this Act or in any other law for the time being in force, no person shall be eligible to be elected as director under clause (i) of sub section (3) unless he is a person having fit and proper status based upon track record, integrity and such other criteria as the Reserve Bank may notify from time to time in this regard.



धारा 9(3एबी): भारतीय रिजर्व बैंक उप धारा (3एए) के अंतर्गत जारी अधिसूचना में “उपयुक्त एवं समुचित” स्थिति का निर्धारण करने वाले प्राधिकारी, ऐसे निर्धारण का तरीका, ऐसे निर्धारण के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया और ऐसे अन्य विषय जो इस संबंध में आवश्यक या प्रासंगिक हो सकते हैं, को भी विनिर्दिष्ट कर सकता है।

धारा 9(3बी): जहां भारतीय रिजर्व बैंक की राय में बैंक की उप धारा (3) के खंड (i) के अंतर्गत निर्वाचित कोई निदेशक उप धारा (3ए) एवं (3एए) की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता है, तो वह ऐसे निदेशक तथा बैंक को सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद आदेश द्वारा ऐसे निदेशक को हटा सकता है और इस प्रकार हटाए जाने पर, निदेशक मंडल उप धारा (3ए) एवं (3एए) की अपेक्षाओं को पूरा करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को, अनुरूप नए बैंक के शेयरधारकों द्वारा अगली वार्षिक आम बैठक में किसी निदेशक के निर्वाचित होने तक, ऐसे हटाए गए व्यक्ति के स्थान पर निदेशक के रूप में सहयोजित करेगा और यह मान लिया जाएगा कि ऐसा सहयोजित व्यक्ति उक्त बैंक के शेयरधारकों द्वारा निदेशक के रूप में विधिवत निर्वाचित है।

धारा 13(2): निष्ठा एवं गोपनीयता का दायित्व

प्रत्येक निदेशक, स्थानीय बोर्ड या किसी समिति के सदस्य या लेखापरीक्षक, सलाहकार, अधिकारी या अनुरूप नए बैंक का अन्य कर्मचारी अपना पदभार ग्रहण करने से पहले तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रारूप में निष्ठा एवं गोपनीयता की घोषणा करेगा।

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970

खंड 9(4): निर्वाचित निदेशकों का कार्यकाल

निर्वाचित निदेशक का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा और वह पुनः निर्वाचन के लिए पात्र होगा।

बशर्ते ऐसा निदेशक निरंतर छह वर्ष से अधिक कि अवधि के लिए पद पर नहीं रहेगा

खंड 10 : निदेशकों की अपात्रता

कोई भी व्यक्ति निदेशक के रूप में नियुक्त होने और निदेशक बनने के लिए अपात्र होगा-

- (क) यदि उसे किसी भी समय दिवालिया घोषित कर दिया गया हो या उसने उधारदाताओं का भुगतान रोके रखा हो या बढ़ाया हो, अथवा
- (ख) यदि उसे विकृत दिमाग का पाया गया हो अथवा उसे किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया हो, अथवा
- (ग) यदि उसे फ़ौजदारी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया हो अथवा उसने ऐसा अपराध किया हो जो नैतिक चरित्रहीनता से जुड़ा हो, अथवा
- (घ) यदि वह, किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप धारा (1) के तहत गठित भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी) बैंक अधिनियम, 1959 की धारा 3 में यथापरिभाषित किसी अनुषंगी बैंक के तहत लाभ का पद धारण करता है/करती है, सिवाय इसके कि वह अधिनियम की धारा 9 की उप धारा (3) के खंड (ई) और (एफ़) के तहत समरूपी नए बैंक के कर्मचारियों में से नामित पूर्ण कालिक निदेशक, इसमें प्रबंध निदेशक तथा निदेशक भी शामिल हैं, का पद धारण करता है/करती है।

खंड 11: निदेशकों के पद रिक्त होना

(1) यदि कोई निदेशक, खंड 10 में विनिर्दिष्ट किसी अपात्रता के अध्याधीन अथवा निदेशक मण्डल की पूर्व अनुमति के बिना उसकी तीन से अधिक बैठकों में लगातार अनुपस्थित रहता है तो यह समझा जाएगा कि उसने अपने पद को रिक्त कर दिया है। परिणामस्वरूप उसका पद रिक्त हो जाएगा।

(2) अध्यक्ष अथवा प्रबंध निदेशक सहित पूर्णकालिक निदेशक अथवा अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (बी) अथवा खंड (सी) में निर्दिष्ट निदेशक केंद्रीय सरकार को लिखित में त्यागपत्र का नोटिस देते हुए अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है और ऐसे त्यागपत्र को उस सरकार द्वारा स्वीकार कर लिए जाने पर यह समझा जाएगा कि उसने पद रिक्त कर दिया है: और कोई अन्य निदेशक केंद्रीय सरकार को अपने त्यागपत्र का नोटिस लिखित में देते हुए अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है और केंद्रीय सरकार से त्यागपत्र की सूचना प्राप्त होने पर त्यागपत्र प्रभावी माना जाएगा।



Section 9(3AB) : The Reserve Bank may also specify in the notification issued under sub section (3AA), the authority to determine the fit and proper status, the manner of such determination, the procedure to be followed for such determination and such other matters as may be considered necessary or incidental thereto.

Section 9(3B): Where the Reserve Bank is of the opinion that any Director of a corresponding new bank elected under clause (i) of sub-section (3) does not fulfill the requirements of sub-sections (3A) and (3AA), it may, after giving to such Director and the bank a reasonable opportunity of being heard, by order, remove such Director and on such removal, the Board of Directors shall co-opt any other person fulfilling the requirements of sub-sections (3A) and (3AA) as a Director in place of the person so removed till a Director is duly elected by the shareholders of the corresponding new bank in the next annual general meeting and the person so co-opted shall be deemed to have been duly elected by the shareholders of the corresponding new bank as a Director.

Section 13(2): Obligations as to fidelity and secrecy.

Every Director, member of a local Board or a committee, or Auditor, Adviser, officer or other employee of a corresponding new bank shall, before entering upon his duties, make a declaration of fidelity and secrecy in the form set out in the Third Schedule.

THE NATIONALISED BANKS (MANAGEMENT AND MISCELLANEOUS PROVISIONS) SCHEME, 1970

Clause 9(4): Term of office of elected Director

An elected director shall hold office for three years and shall be eligible for re-election.

Provided that no such director shall hold office continuously for a period exceeding six years.

Clause 10: Disqualification of Directors

A person shall be disqualified for being appointed as, and for being, a director -

- a) if he has at any time been adjudicated an insolvent or has suspended payment or has compounded with his creditors; or
- b) if he has been found to be of unsound mind and stands so declared by a competent Court; or,
- c) if he has been convicted by a Criminal Court of an offence which involves moral turpitude; or
- d) if he holds any office of profit under any nationalized bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of section 3 of the State Bank of India Act, 1955, or any subsidiary bank as defined in section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, except for holding the post of a whole-time director, including the managing director and directors nominated under clauses (e) and (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act from among the employees of the corresponding new bank.

Clause 11: Vacation of office of directors

- (1) If a director becomes subject to any of the disqualifications specified in Cl.10 or is absent without leave of the Board for more than three consecutive meetings thereof he shall be deemed to have vacated his office as such and thereupon his office shall become vacant.
- (2) The Chairman or whole-time director including the Managing Director or a director referred to in Cl. (b) or Cl. (c) of sub-section (3) of Section 9 of the Act may resign his office by giving notice thereof in writing to the Central Government and on such resignation being accepted by that Government shall be deemed to have vacated his office: any other director may resign his office by giving notice thereof in writing to the Central Government and such resignation shall take effect on the receipt of the communication of the resignation by the Central Government.



- (3) पूर्वोक्त उप खंडों के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड सी 1 (ई) अथवा खंड (एफ) में संदर्भित निदेशक का पद, जिस राष्ट्रीयकृत बैंक का वह निदेशक है उसका एक कार्मिक अथवा कार्मिक से इतर का एक कर्मचारी नहीं रह जाने पर उस पद को खाली माना जाएगा।
- (4) जहां निर्वाचित निदेशक के अलावा किसी निदेशक कोई पद रिक्त होता है, तो वह पद अधिनियम की धारा 9 की उप धारा (3) के अनुरूप भरा जाएगा।

खंड 11ए: निर्वाचित निदेशक को पद से हटाना

केंद्रीय सरकार के अलावा ऐसे शेयरधारक, जिनकी सकल धारिता उनके द्वारा धारिता शेयर पूंजी के आधे से कम नहीं है तो धारा 9 की उप धारा (3) के खंड (i) के तहत वे बहुमत से पारित संकल्प द्वारा किसी निर्वाचित निदेशक को पद से हटा सकते हैं और रिक्त पद को भरने के लिए उसके स्थान पर दूसरे व्यक्ति को निर्वाचित कर सकते हैं।

खंड 11बी: निर्वाचित निदेशक के रिक्त पद को भरना

- (1) जहां निर्वाचित निदेशक के कार्यकाल की अवधि की समाप्ति से पहले कोई पद रिक्त होता है, तो रिक्त पद को चुनाव द्वारा भरा जाएगा। बशर्ते जहां रिक्त पद की अवधि 6 माह से कम होने की संभावना हो, रिक्त पद को शेष निदेशकों द्वारा भरा जा सकता है।
- (2) कोई व्यक्ति जो निर्वाचित अथवा विकल्पित है, जैसी भी स्थिति हो, उपखंड (1) के तहत अपने पूर्ववर्ती कार्य की अवधि के असमाप्त भाग के लिए पद धारण करेगा।

खंड 12(8): निदेशकों द्वारा हित प्रकटीकरण

निदेशक जो राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा या की ओर से किए गए अथवा किए जाने हेतु प्रस्तावित किसी संविदा, ऋण, प्रबंध अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संबद्ध है अथवा उसमें उसका हित है, संबद्ध परिस्थितियों उसकी जानकारी में आने के पश्चात यथाशीघ्र अपने हित की प्रकृति को निदेशक मण्डल में प्रकट करेगा और जब ऐसी संविदा, ऋण, प्रबंध अथवा प्रस्ताव के बारे में निदेशक मण्डल में चर्चा की जाएगी, वह निदेशक मण्डल की बैठक में, जब तक कि उस प्रयोजन के लिए सूचना प्राप्त करने के लिए अन्य निदेशकों द्वारा उसकी उपस्थिति अपेक्षित न हो, उपस्थित नहीं रहेगा।

परंतु इस उपधारा में समाहित कुछ भी, ऐसे निदेशकों पर मात्र निम्नलिखित होने के कारण लागू नहीं होगा:

- (i) कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) में यथा परिभाषित सार्वजनिक कंपनी अथवा भारत में फिलहाल लागू विधि द्वारा अथवा विधि के तहत स्थापित किसी निगम अथवा किसी सहकारी समिति, जिसके साथ अथवा जिसकी ओर से राष्ट्रीयकृत बैंक ने संविदा, ऋण, प्रबंध अथवा प्रस्ताव किया है अथवा करने वाला है, में किसी शेयरधारक (निदेशक के अलावा) की धारिता, प्रदत्त पूंजी के 2 प्रतिशत से अधिक नहीं है।
- (ii) राष्ट्रीयकृत बैंक का अधिकारी अथवा अन्य कर्मचारी, यदि वह निदेशक है अधिनियम की धारा 9 की प्रदत्त उपधारा (3) के खंड (ई) अथवा खंड (एफ) में विनिर्दिष्ट।

यूको बैंक (शेयर एवं बैठक) विनियम 2003

विनियम 10: संयुक्त धारकों के इस्तेमाल का अधिकार

यदि शेयर दो अथवा दो से अधिक के नाम पर है तो रजिस्टर में दर्ज प्रथम व्यक्ति मतदान, लाभांश प्राप्ति, नोटिस और शेयरों के अंतरण को छोड़कर यूको बैंक से संबन्धित सभी अथवा अन्य किसी मामले के बारे में शेयरों का एकल धारक समझा जाएगा।

विनियम 63: आम बैठकों में निदेशकों का चुनाव

- i. अधिनियम की धारा 9 की उपधारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत जिनका नाम रजिस्टर पर है ऐसे केंद्रीय सरकार से भिन्न शेयर धारकों द्वारा, बैंक की आम बैठक में उनमें से निदेशक चुना जाएगा।



- (3) Without prejudice to the provisions of the foregoing sub-clauses, the office of the director referred to in Cl. (e) or Cl. (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act shall become vacant as soon as the director ceases to be a workman or an employee, other than a workman of the nationalized bank of which is a director
- (4) Where any vacancy occurs in the office of a director, other than an elected director, it shall be filled in accordance with sub-section (3) of Section 9 of the Act.

Clause 11A : Removal from office of an elected Director

The shareholders other than the Central Government, may, by a resolution passed by majority of the votes of such shareholders holding in the aggregate not less than one half of the share capital held by all such shareholders, remove any director elected under Cl. (i) of sub-section (3) of Section 9 and elect in his stead another person to fill the vacancy.

Clause 11B: Filling of vacancy in the office of an elected Director

- (1) Where any vacancy occurs before the expiry of the term of office of an elected director, the vacancy shall be filled in by election:

Provided that where the duration of vacancy is likely to be less than six months, the vacancy may be filled in by the remaining directors.

- (2) A person elected or co-operated, as the case may be, under sub-clause (1) shall hold office for the unexpired portion of the term of his predecessor.

Clause 12(8): Disclosure of interest by Directors

A director who is directly or indirectly concerned or interested in any contract, loan, arrangement or proposal entered into or proposed to be entered into by or on behalf of the nationalized bank shall, as soon as possible after the relevant circumstances have come to his knowledge, disclose the nature of his interest to the Board and shall not be present at the meeting of the Board when any such contract, loan, arrangement or proposal is discussed unless his presence is required by the other directors for the purpose of eliciting information and no director so required to be present shall vote on any such contract, loan, arrangement or proposal:

Provided that nothing contained in this sub-clause shall apply to such director by reason only of his being-

- (i) a shareholder (other than a director) holding not more than two percent of the paid-up capital in any public company as defined in the Companies Act, 1956 (1 of 1956) or any corporation established by or under any law for the time being in force in India or any co-operative society, with which or to which the Nationalized Bank has entered into or made or proposed to enter into or make a contract, loan, arrangement or proposal, or
- (ii) an officer or other employee of the nationalized bank, if he is a director referred to in Cl. (e) or Cl. (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act.

UCO BANK (SHARES AND MEETINGS) REGULATIONS 2003

Regulation 10: Exercise of rights of joint holders

If any share stands in the names of two or more persons, the first named in the register shall as regards voting, receipt of dividends, service of notices and all or any other matters connected with UCO Bank except the transfer of shares be deemed to be the sole holder thereof.

Regulation 63 : Directors to be elected at general meeting

- i. A Director under clause (i) of sub-section 3 of Section 9 of the Act shall be elected by the shareholders on the register, other than the Central Government from amongst themselves in the General Meeting of the Bank.



- ii. जहां किसी आम बैठक में निदेशक का चुनाव होने वाला हो उससे संबंधित नोटिस, बैठक के आयोजन से संबद्ध नोटिस में सम्मिलित होगा। ऐसे नोटिस में चुने जाने वाले निदेशकों की संख्या तथा जिनके संबंध में चुनाव होना है उन रिक्त पदों से संबंधित विवरण दर्शाये गए होने चाहिए।

विनियम 64 : शेयर धारकों की सूची

- (i) इन विनियमों के विनियम 63 के उप-विनियम (i) के अंतर्गत निदेशक के चुनाव के उद्देश्य से रजिस्टर से उन शेयरधारकों की एक सूची तैयार की जाएगी, जिनके द्वारा निदेशक का चुनाव होगा।
- (ii) सूची में शेयरधारकों के नाम, उनके पंजीकृत पते, उनके पास शेयरों की संख्या तथा शेयर का पृथक क्रमांक, उस तारीख सहित जिस दिन वह पंजीकृत किए गए थे तथा बैठक के लिए निर्धारित वह दिनांक जिस पर चुनाव होगा, मताधिकार की संख्या जिनके वे हकदार होंगे तथा बैठक की निर्धारित तिथि से 3 सप्ताह पूर्व शेयरधारकों की सूची की प्रतियां उस मूल्य पर खरीदने के लिए उपलब्ध रहेगी, जैसा कि बोर्ड या प्रधान कार्यालय की प्रबंधन समिति द्वारा निर्धारित किया जाता है।

विनियम 65 : चुनाव हेतु उम्मीदवारों का नामांकन

- (i) निदेशक के रूप में निर्वाचन के लिए किसी उम्मीदवार का नामांकन तब तक वैध नहीं होगा जब तक कि :
- (क) वह यूको बैंक का शेयर धारक न हो और उसके पास 100 (एक सौ) से कम शेयर न हो।
- (ख) वह नामांकन प्राप्त होने कि अंतिम तारीख को उक्त अधिनियम या योजना के अंतर्गत निदेशक होने के लिए अयोग्य न हो।
- (ग) उसके द्वारा धारित बैंक के सभी शेयरों चाहे उसके एकल नाम पर हों अथवा अन्य के साथ संयुक्त रूप से हों, से संबंधित मांग की राशि का भुगतान निर्धारित अंतिम तिथि तक या इससे पहले कर दिया गया हो।
- (घ) उक्त अधिनियम के अंतर्गत निदेशक के रूप में निर्वाचन हेतु नामांकन लिखित रूप में किया गया हो और कम से कम एक सौ पात्र शेयरधारकों अथवा यथाविधि गठित उनके अटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो, बशर्ते किसी शेयरधारक जो एक कंपनी हो, द्वारा किया गया नामांकन, उसके निदेशकों द्वारा पारित किए गए संकल्प के अनुसार किया गया हो और जिस बैठक में इसे पारित किया गया हो उसके अध्यक्ष द्वारा संकल्प की एक प्रति, यूको बैंक के प्रधान कार्यालय को भेजी गयी हो तो ऐसी प्रति को उस कंपनी की ओर से नामांकन समझा जाएगा।
- (ङ) नामांकन के साथ अथवा नामांकन में प्रत्याशी द्वारा न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार अथवा एशयोरेंस के उप-रजिस्ट्रार के समक्ष अथवा किसी अन्य राजपत्रित अथवा भारतीय रिजर्व बैंक के किसी अधिकारी अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक के किसी अधिकारी के समक्ष हस्ताक्षरित इस आशय की घोषणा शामिल होनी चाहिए कि वह नामांकन को स्वीकार करता है और चुनाव में खड़े होने के लिए इच्छुक है और वह उक्त अधिनियम अथवा योजना अथवा इन विनियमों के तहत निदेशक होने के लिए अयोग्य नहीं है।
- (च) कोई नामांकन तब तक वैध नहीं माना जाएगा जब तक कि वह सभी प्रकार से पूर्ण संबंधित दस्तावेजों के साथ प्रधान कार्यालय में बैठक के लिए निर्धारित तिथि से कम से कम 14 दिन पूर्व प्राप्त न हो जाए।

विनियम 66: नामांकन की जांच

- (i) नामांकन प्राप्त होने कि निर्धारित तिथि के बाद के प्रथम कार्य दिवस को नामांकनों की जांच की जाएगी और यदि कोई नामांकन वैध नहीं पाया गया तो उसके लिए कारण दर्ज करने के पश्चात उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा। यदि चुनाव के जरिये किसी विशेष रिक्त पद को भरने के लिए केवल एक वैध नामांकन प्राप्त हो तो इस प्रकार नामित प्रत्याशी उसी समय से निर्वाचित समझा जाएगा और उसका नाम तथा पता निर्वाचित निदेशक के रूप में प्रकाशित किया जाएगा। ऐसी अवस्था में चुनाव के प्रयोजन के लिए आयोजित बैठक स्थल पर कोई चुनाव नहीं होगा और यदि बैठक उक्त चुनाव के प्रयोजन मात्र के लिए ही आयोजित की गई हो तो इसे निरस्त समझा जाएगा।
- (ii) चुनाव होने की अवस्था में, यदि नामांकनों की संख्या निर्वाचित किए जाने वाले निदेशकों की संख्या से अधिक हो, तो बहुमत प्राप्त प्रत्याशी को निर्वाचित समझा जाएगा।
- (iii) मौजूदा रिक्त पद को भरने के लिए निर्वाचित निदेशक को निर्वाचन/निर्वाचित समझे जाने की तिथि के अगले दिन से पदभार ग्रहण किया हुआ समझा जाएगा।



- ii. Where an election of a Director is to be held at any general meeting, the notice thereof shall be included in the notice convening the meeting. Every such notice shall specify the number of directors to be elected and the particulars of vacancies in respect of which the election is to be held.

Regulation 64 : List of shareholders

- i. For the purpose of election of a Director under sub-regulation (i) of Regulation 63 of these regulations, a list shall be prepared of shareholders on the register by whom the director is to be elected.
- ii. The list shall contain the names of the shareholders, their registered addresses, the number and denoting numbers of shares held by them with the dates on which the shares were registered and the number of votes to which they will be entitled on the date fixed for the meeting at which the election will take place and copies of the list shall be available for purchase at least three weeks before the date fixed for the meeting at a price to be fixed by the Board or the Management Committee, on application at the Head Office.

Regulation 65 : Nomination of candidates for election

- i. No nomination of a candidate for election as a director shall be valid unless,
 - a) he is a shareholder holding not less than 100 (One hundred) shares in the Bank.
 - b) he is on the last date for receipt of nomination, not disqualified to be a Director under the Act or under the Scheme.
 - c) he has paid all calls in respect of the shares of the Bank held by him, whether alone or jointly with others, on or before the last date fixed for the payment of the call,
 - d) the nomination is in writing signed by at least one hundred shareholders entitled to elect Directors under the Act or by their duly constituted attorney, provided that a nomination by a shareholder who is a Company may be made by a resolution of the Directors of the said Company and where it is so made, a copy of the resolution certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall be dispatched to the Head Office of UCO Bank and such copy shall be deemed to be a nomination on behalf of such Company.
 - e) The nomination accompanies or contains a declaration signed by the candidate before a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Gazetted Officer or an Officer of the Reserve Bank of India or any Nationalized Bank, that he accepts the nomination and is willing to stand for election, and that he is not disqualified either under the Act or the Scheme or these regulations from being a Director.
 - f) No nomination shall be valid unless it is received with all the connected documents complete in all respects and received, at the Head Office of UCO Bank on a working day not less than fourteen days before the date fixed for the meeting.

Regulation 66: Scrutiny of nominations

- i. Nominations shall be scrutinized on the first working day following the date fixed for receipt of nominations and in case any nomination is not found to be valid, the same shall be rejected after recording the reason thereof. If there is only one valid nomination for any particular vacancy to be filled by election, the candidate so nominated shall be deemed to be elected forthwith and his name and address shall be published as so elected in such an event there shall not be any election at the meeting convened for the purpose and if the meeting had been called solely for the purpose of the aforesaid election it shall stand cancelled.
- ii. In the event of an election being held, if valid nominations are more than the number of Directors to be elected, the candidate polling the majority of votes shall be deemed to have been elected.
- iii. A Director elected to fill an existing vacancy shall be deemed to have assumed office from the date following that on which he is, or is deemed to be elected.



विनियम 67 : चुनाव विवाद

- (i) यदि निर्वाचित समझे जाने वाले अथवा निर्वाचित घोषित किए गए किसी व्यक्ति की योग्यता अथवा अयोग्यता अथवा किसी निदेशक के चुनाव की वैधता के बारे में विवाद पैदा होता है, तो प्रत्याशी होने के लिए इच्छुक कोई व्यक्ति अथवा ऐसे चुनाव में मतदान करने के लिए हकदार शेयरधारक, ऐसे चुनाव के परिणाम के घोषित होने की तिथि के 7 दिनों के भीतर उसकी सूचना लिखित रूप में बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को दे सकता है और उक्त सूचना में उन कारणों का पूर्ण विवरण देगा जिसके आधार पर चुनाव की वैधता के बारे में उसे संदेह अथवा विवाद है।
- (ii) उप विनियम (i) के तहत सूचना प्राप्त होने पर बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अथवा उनकी अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक ऐसे संदेह अथवा विवाद पर निर्णय हेतु अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अथवा उनकी अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक और अधिनियम की धारा 9 की उप धारा 3 के खंड (बी) और (सी) के तहत नामित किन्हीं दो निदेशकों के साथ गठित समिति को संदर्भित कर सकते हैं।
- (iii) उप विनियम (ii) में संदर्भित समिति आवश्यकतानुसार जांच करेगी और यदि समिति यह पाती है कि चुनाव वैध था तो वह चुनाव के घोषित परिणाम की पुष्टि करेगी अथवा यदि वह पाती है कि चुनाव एक वैध नहीं था तो वह जांच आरंभ होने के 30 दिनों के भीतर, परिस्थितियों के अनुसार नया चुनाव करने सहित ऐसे आदेश और ऐसे निर्देश जारी करेगी जो समिति को उचित लगे।
- (iv) इस विनियमन के अनुसरण में समिति के आदेश और निदेश अंतिम होंगे।

शेयरधारकों के मताधिकार :

विनियम 68 : मताधिकार का निर्धारण :

- i. अधिनियम की धारा 3 (2-ई) में निर्दिष्ट प्रावधान के अनुसार, ऐसा प्रत्येक शेयरधारक, जो आम सभा की तिथि के पूर्व रजिस्टर के बंद होने की तिथि पर शेयरधारक के रूप में पंजीकृत हो चुका है, ऐसी बैठक में हाथ उठाकर मत देने की अवस्था में एक मत तथा निर्वाचन होने की अवस्था में उसके द्वारा धारित प्रत्येक शेयर के लिए एक मत देने का हकदार होगा।
- ii. अधिनियम की धारा 3 (2-ई) में निर्दिष्ट प्रावधान के अनुसार, उपर्युक्त के अनुसार मत देने के लिए हकदार प्रत्येक शेयरधारक जो एक कंपनी नहीं है, व्यक्तिगत अथवा परोक्षी के माध्यम से उपस्थित है अथवा जो कंपनी के नाते विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि अथवा प्रोक्सी के माध्यम से उपस्थित है, हाथ उठाकर मत देने की अवस्था में एक मत और उपर्युक्त उपविनियम (i) में बताए अनुसार उसके द्वारा धारित प्रत्येक शेयर के लिए एक मत देने के लिए हकदार होगा। व्याख्या : इस अध्याय के लिए 'कंपनी' का तात्पर्य कोई भी कॉर्पोरेट निकाय है।
- iii. आम सभा में भाग लेने और मत देने के लिए हकदार बैंक के शेयरधारकों को अपने स्थान पर किसी व्यक्ति (भले ही वह शेयर धारक है या नहीं) को भाग लेने और मत देने के लिए परोक्षी के रूप में नियुक्त करने का हक है परंतु इस प्रकार नियुक्त परोक्षी को बैठक में बोलने का अधिकार नहीं होगा।

विनियम 69 : विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा मतदान

- i. कोई शेयर धारक, केंद्रीय सरकार अथवा कंपनी होने के नाते संकल्प द्वारा, जैसा भी मामला हो, अपने अधिकारियों में से किसी को अथवा अन्य व्यक्ति को शेयरधारकों की किसी सामान्य बैठक में अपने प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है और ऐसे प्राधिकृत व्यक्ति (इन विनियमों में 'विधिवत 17 प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में संदर्भित) को केंद्र सरकार अथवा कंपनी जिसका वह प्रतिनिधित्व कर रहा है, की ओर से उन्ही शक्तियों के प्रयोग करने का हक होगा जैसे कि वह बैंक का शेयरधारक हो। इस प्रकार प्रदत्त प्राधिकार दो व्यक्तियों के पक्ष में वैकल्पिक रूप में होने चाहिए और ऐसे मामले में ऐसे व्यक्तियों में से कोई एक व्यक्ति केंद्रीय सरकार/कंपनी के विधिवत प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर सकता है।
- ii. बैंक के शेयरधारकों की बैठक में कोई व्यक्ति कंपनी के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में तब तक भाग नहीं ले सकता है अथवा मत नहीं दे सकता है जब तक कि जिस बैठक में उसे पारित संकल्प द्वारा विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त किया गया था, उसके अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि बैंक के प्रधान कार्यालय 2, इंडिया एक्स्चेंज प्लेस, कोलकाता – 700001 में बैठक के लिए निर्धारित तिथि से चार दिन पहले जमा न कर दी गई हो।

**Regulation 67: Election disputes**

- i. if any doubt or dispute shall arise as to the qualification or disqualification of a person deemed, or declared to be elected, or as to the validity of the election of a Director, any person interested, being a candidate or shareholder entitled to vote at such election, may, within seven days of the date of the declaration of the result of such election, give intimation in writing thereof to the Managing Director & CEO of UCO Bank and shall in the said intimation give full particulars of the grounds upon which he doubts or disputes the validity of the election.
- ii. On receipt of an intimation under sub-regulation (i) the Managing Director & CEO or in his absence, the Executive Director (s) of UCO Bank shall forthwith refer such doubt or dispute for the decision of a committee consisting of the Managing Director & CEO or in his absence, the Executive Director (s) and any two of the Directors nominated under clauses (b) and (c) of sub-section (3) of Section 9 of the Act.
- iii. The Committee referred to in sub-regulation (ii) shall make such an enquiry as deemed necessary and if it finds that the election was valid election, it shall confirm the declared results of the election, or if it finds that the election was not valid election, it shall, within 30 days of the commencement of the enquiry, make such order and give such directions including the holding of the fresh election as shall in the circumstances appear just to the committee.
- iv. An order and direction of such committee in pursuance of this regulation shall be conclusive.

Voting Rights of Shareholders :**Regulation 68: Determination of voting rights**

- i. Subject to the provisions contained in Section 3(2E) of the Act, each shareholder has been registered as a shareholder on the date of the closure of Register prior to the date of a general meeting shall, at such meeting, have one vote on show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him.
- ii. Subject to the provision contained in Section 3(2E) of the Act, every shareholder entitled to vote as aforesaid who, not being a Company, is present in person or by proxy or who being a company is present by a duly authorized representative, or by proxy shall have one vote on show of hands and in case of poll shall have one vote for each share held by him as stated herein above in sub-regulation (i) Explanation - for this chapter, "Company" means any Body Corporate.
- iii. Shareholders of the Bank entitled to attend and vote at a general meeting shall be entitled to appoint another person (whether a shareholder or not) as his proxy to attend and vote instead of himself, but a proxy appointed shall not have any right to speak at the meeting.

Regulation 69: Voting by duly authorized representative

- i. A shareholder, being the Central Government or a company, may by a resolution, as the case may be, authorize any of his officer or any other person to act as its representative at any general meeting of the shareholder and person so authorized (referred to as "duly authorized representatives" in these regulations) shall be entitled to exercise the same powers on behalf of the Central Government or the company which he represents, as if he were an individual shareholder of UCO Bank. The authorization so given may be in favour of two persons in the alternative and in such a case any of such persons may act as duly authorized representative of the Central Government/Company.
- ii. No person shall attend or vote at any meeting of the shareholders of the Bank as the duly authorized representative of the company unless a copy of the resolution appointing him as a duly authorized representative certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall have been deposited at the Head Office, 2, India Exchange Place, Kolkata - 700 001 of UCO Bank not less than 4 days before the date fixed for the meeting.



विनियम 70: परोक्षी

- i. वैयक्तिक शेयरधारक के मामले में परोक्षी का कोई भी लिखत तब तक वैध नहीं होगा जब तक कि उस पर उसने अथवा उसके अटॉर्नी ने लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत न किया हो अथवा संयुक्त शेयरधारकों के मामले में रजिस्टर में अंकित प्रथम शेयर धारक अथवा लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत उसके अटॉर्नी द्वारा अथवा कंपनी निकाय के मामले में उसके अधिकारी अथवा लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत उसके अटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षर न किया गया हो।
बशर्ते परोक्षी के लिखत को शेयर धारक द्वारा उपयुक्त रूप से हस्ताक्षरित होना चाहिए परंतु यदि किसी कारण से वह लिखने में असमर्थ है और उसके अंगूठे का निशान लगाया गया है तो यह तभी वैध माना जाएगा जब इसे किसी न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट या उप-रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरंस या किसी अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी या बैंक के किसी अधिकारी द्वारा सत्यापित किया गया हो।
- ii. कोई भी परोक्षी तब तक वैध नहीं होगा जब तक की उस पर विधिवत मुहर न लगी हुई हो और उसकी प्रति, बैठक की नियत तिथि से चार दिन पहले बैंक के प्रधान कार्यालय में मुख्तारनामे अथवा अन्य प्राधिकार, यदि कोई हो, जिसके तहत हस्ताक्षर किए गए हों अथवा नोटरी पब्लिक अथवा किसी मजिस्ट्रेट द्वारा मुख्तारनामे अथवा अन्य प्राधिकार की सत्य प्रतिलिपि के रूप में अभिप्रमाणन के साथ जमा न कर दिया गया हो और साथ ही ऐसा मुख्तारनामा अथवा कोई प्राधिकार बैंक के पास पहले जमा अथवा पंजीकृत न किया गया हो।
- iii. परोक्षी का कोई भी लिखत तब तक वैध नहीं होगा जब तक की वह फॉर्म 'बी' में न हो।
- iv. बैंक के पास जमा किया गया परोक्षी का कोई भी लिखत अपरिवर्तनीय तथा अंतिम होगा।
- v. वैकल्पिक रूप से दो अभिदाताओं के पक्ष में अभिदत्त परोक्षी के लिखत के मामले में एक से अधिक फॉर्म निष्पादित नहीं किया जाएगा।
- vi. इस विनियम के तहत परोक्षी के किसी लिखत का गारंटर उस बैठक में व्यक्तिगत रूप से वोट देने का पात्र नहीं होगा जिससे वह लिखत संबन्धित नहीं है।
- vii. कोई भी ऐसा व्यक्ति प्रतिनिधि अथवा परोक्षी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा जो यूको बैंक का अधिकारी अथवा कर्मचारी है।
- viii. परोक्षी फॉर्म में सभी संशोधन विधिवत अधिप्रमाणित होने चाहिए।

भारतीय रिज़र्व बैंक के "उपयुक्त एवं समुचित" मानदंड संबंधी दिशानिर्देश

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की धारा 9 की उप-धारा (3-एए) के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना आरबीआई/डीबीआर/2019- 20/71 मास्टर निदेश डीबी आर एपीपीटी सं. 9/29.67.001/2019-20 दिनांक 2 अगस्त 2019 जारी की है, जिसमें बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की धारा 9(3)(i) के प्रावधानों के अंतर्गत बैंकों के निदेशक मण्डल में निर्वाचित हुए व्यक्तियों द्वारा पूरे किए जाने वाले "उपयुक्त एवं समुचित" मानदंड का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है।

अधिसूचना की प्रमुख विशेषताएं :

उपयुक्त एवं समुचित स्थिति आदि का निर्णय करने संबंधी प्राधिकार, पद्धति/प्रक्रिया एवं मानदंड निम्नानुसार है :

● प्राधिकार :

सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों को उम्मीदवार के उपयुक्त एवं समुचित का निर्धारण करने हेतु यथोचित परिश्रम की प्रक्रिया शुरू करने के लिए निदेशक मंडल के बीच से तीन गैर-कार्यकारी निदेशकों से मिलकर एक "नामांकन और पारिश्रमिक समिति" का गठन करना आवश्यक है। निदेशक मण्डल द्वारा उनमें से एक निदेशक को नामांकन समिति का अध्यक्ष नामित करना चाहिए। कोरम में अध्यक्ष को मिलकर तीन सदस्य होने ज़रूरी हैं। यदि नामित व्यक्तियों में से कोई अनुपस्थित रहता है तो निदेशक मण्डल उसके स्थान पर किसी अन्य गैर-कार्यकारी निदेशक को आगामी बैठक के लिए नामित कर सकता है। नामांकन समिति का गठन करते समय बोर्ड इसकी अवधि का भी निर्धारण कर सकता है।



Regulation 70: Proxies

- i. No instrument of proxy shall be valid unless, in the case of an individual shareholder, it is signed by him/her or by his/her attorney, duly authorized in writing, or in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his/her attorney, duly authorized in writing, or in the case of a body corporate signed by an officer or an attorney duly authorized in writing.

Provided that an instrument of proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable write his/her name, if his/her mark is affixed thereto and attested by a Judge or Magistrate or Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Govt. Gazetted Officer or Officer of UCO Bank.

- ii. No proxy shall be valid unless it is duly stamped and a copy thereof deposited at the Head Office of UCO Bank or at any other place duly notified by the Bank in this regard, not less than FOUR DAYS before the date fixed for the meeting, together with the Power of Attorney or other authority (if any) under which it is signed or a copy of that Power of Attorney or other authority certified as a true copy by a Notary Public or a Magistrate, unless such a Power of Attorney or other authority is previously deposited and registered with UCO Bank.
- iii. No instrument of the proxy shall be valid unless it is in Form "B".
- iv. An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
- v. In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
- vi. The granter of an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person in the Extra ordinary General Meeting to which such instruments relates.
- vii. No person shall be appointed as duly authorized representative or a proxy who is an officer or an employee of UCO Bank.
- viii. All alterations in the Proxy Form should be duly authenticated.

RBI'S FIT AND PROPER CRITERIA NOTIFICATION

Reserve Bank of India (RBI), in exercise of powers conferred on it under sub-sections (3AA) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act 1970/1980 has issued notification RBI/DBR/2019- 20/71 Master Direction DBR.Appt. No:9/29.67.001/2019-20 dated August 2, 2019 laying down specific "Fit and Proper" Criteria to be fulfilled by the persons being elected as directors on the Board of PSBs under the provisions of Section 9 (3)(i) of the Banking Companies (Acquisition & transfer of undertakings) Act 1970/1980.

SALIENT FEATURES OF THE NOTIFICATION

The Authority, Manner/ Procedure and Criteria for deciding the "Fit and Proper "status etc., are as under:

- **Authority:**

All the nationalized banks are required to constitute a "Nomination and Remuneration committee" (Committee) consisting of a minimum of three non-executive directors from amongst the Board of Directors for undertaking the process of due diligence to determine 'fit and proper' status of the candidate. The Board of Directors should also nominate one among them as Chairman of the nomination committee. The quorum required is three, including the Chairman. In case of absence of any member already nominated, the board of directors may nominate any other non-executive Director in his place for the ensuing meeting. At the time of constituting the nomination committee the board can decide on its tenure.



● **पद्धति एवं प्रक्रिया:**

बैंक अनुलग्नक-‘ए’ में दिए गए प्रारूप में चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने वाले व्यक्तियों से आवश्यक जानकारी तथा घोषणा और उपक्रम प्राप्त करेगा। समिति नामांकन की स्वीकृति के लिए निर्धारित अंतिम तिथि के बाद बैठक करेगी और तय करेगी कि आरबीआई के परिपत्र में उल्लिखित मानदंडों के आधार पर व्यक्ति की उम्मीदवारी स्वीकार की जानी चाहिए अथवा नहीं।

समिति की चर्चा को बैठक के औपचारिक कार्यवृत्त के रूप में दर्ज किया जाएगा और यदि मतदान किया जाता है, तो यह भी नोट किया जाएगा। हस्ताक्षरित घोषणा में प्रदान की गई जानकारी के आधार पर, समिति उम्मीदवारी की स्वीकृति या अन्यथा पर निर्णय लेगी और जहां आवश्यक हो, उपयुक्त प्राधिकारी/ व्यक्तियों को संदर्भित करेगी कि दर्शाए गए आवश्यकताओं के अनुरूप उम्मीदवारी है।

● **मानदंड**

समिति यहां उल्लिखित व्यापक मानदंडों के आधार पर प्रस्तावित उम्मीदवारों की उचित और उपयुक्त स्थिति का निर्धारण करेगी:

(i) **आयु-** चयन के लिए नामांकन जमा करने की निर्धारित तिथि के अनुसार उम्मीदवार की आयु 35 से 67 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

(ii) **शैक्षणिक योग्यता** - उम्मीदवार कम से कम स्नातक होना चाहिए।

(iii) **अनुभव और विशेषज्ञता का क्षेत्र** - उम्मीदवार को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 24 नवंबर 2016 के परिपत्र डीबीआर.एपीपीटी.बीसी सं. 39/29.39.001/2016-17 के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9(3क) में उल्लिखित एक या अधिक मामलों के संबंध में, जैसा भी मामला हो, विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव हो।

(iv) **अयोग्यता** : राष्ट्रीय बैंकों (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970/80 के खंड 10 में निर्धारित “निदेशकों की अयोग्यता” के अलावा :

(क) उम्मीदवार किसी भी बैंक या रिज़र्व बैंक या वित्तीय संस्थान (एफआई) या बीमा कंपनी या किसी अन्य बैंक के एनओएफएचसी के बोर्ड का सदस्य नहीं होने चाहिए।

स्पष्टीकरण: इस उप-पैरा और उप-पैरा (ग) के प्रयोजन के लिए, अभिव्यक्ति “बैंक” में एक बैंकिंग कंपनी, एक नया बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, एक सहकारी बैंक और एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शामिल होंगे।

(ख) किराया खरीद, वित्तपोषण, धन उधार, निवेश, पट्टेदारी और अन्य पैरा बैंकिंग गतिविधियों से जुड़े व्यक्ति को पीएसबी के बोर्ड में निर्वाचित निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए मान्य नहीं होंगे।

हालांकि, ऐसी संस्थाओं के निवेशकों को निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा, अगर वे उनमें किसी प्रबंधकीय नियंत्रण में नहीं हो।

(ग) ऐसा कोई व्यक्ति निर्वाचित/ पुनः निर्वाचित नहीं हो जिन्होंने छः वर्ष तक लगातार अथवा अंतराल पर किसी भी बैंक/ वित्तीय संस्था/ आरबीआई/ किसी भी श्रेणी की बीमा कंपनी की बोर्ड में पूर्व में निदेशक के रूप में सेवा प्रदान नहीं किया हो।

(घ) उम्मीदवार स्टॉक ब्रोकिंग के व्यवसाय से जुड़ा नहीं होना चाहिए।

(ङ) उम्मीदवार संसद या राज्य विधानमंडल या नगर निगम या नगर पालिका या अन्य स्थानीय निकायों का सदस्य नहीं होना चाहिए।

(च) उम्मीदवार ऐसी किसी चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्म के साझेदार के रूप में कार्य न कर रहा हो जो वर्तमान में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक के सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षक के रूप में कार्य कर रही हो।



- **Manner and procedure:**

The Bank will obtain necessary information, and declaration & undertaking in format given in Annexure-A from the persons who file their nomination for election. The committee shall meet after the last date prescribed for acceptance of nominations and determine whether or not the person's candidature should be accepted, based on the criteria mentioned in the RBI circular.

The committee's discussions should be properly recorded as formal minutes of the meeting and the voting if done should also be noted. Based on the information provided in the signed declaration, the Committee shall decide on the acceptance or otherwise of the candidate and may make references, where considered necessary to the appropriate authority/persons, to ensure that the candidate conforms to the requirements indicated.

- **Criteria**

The committee shall determine the 'fit and proper' status of the proposed candidate based on the broad criteria as mentioned hereunder:

(i) **Age** - The candidate's age should be between 35 to 67 years as on the cut-off date fixed for submission of nominations for election.

(ii) **Educational qualification** - The candidate should at least be a graduate.

(iii) **Experience and field of expertise** - The candidate shall have special knowledge or practical experience in respect of one or more of the matters enumerated in section 9(3A)(A) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, as the case may be, read with RBI Circular DBR.Appt.BC No 39/29.39.001/2016-17 dated November 24, 2016.

(iv) **Disqualifications:** In addition to 'Disqualifications of Directors' as prescribed in Clause 10 of Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970/80:

(a) The candidate should not be a member of the Board of any bank or the Reserve Bank or a Financial Institution (FI) or Insurance Company or a NOFHC holding any other bank.

Explanation: For the purpose of this sub-para and sub-para (c), the expression "bank" shall include a Banking company, a corresponding new bank, State Bank of India, a co-operative bank and a regional rural bank.

(b) A person connected with hire purchase, financing, money lending, investment, leasing and other para banking activities shall not be considered for appointment as elected director on the board of a PSB.

However, investors of such entities would not be disqualified for appointment as directors if they do not enjoy any managerial control in them.

(c) No person may be elected/ re-elected on the Board of a bank if he/she has served as director in the past on the board of any bank (including the bank in which he/she has served as director in the past) /FI/RBI/ Insurance Company under any category for six years, whether continuously or intermittently.

(d) The candidate should not be engaging in the business of stock broking.

(e) The candidate should not be holding the position of a Member of Parliament or State Legislature or Municipal Corporation or Municipality or other local bodies (means bodies such as Notified Area Council, City Council, Panchayat, Gram Sabha, Zila Parishad, etc).

(f) The candidate should not be acting as a partner of a Chartered Accountant firm which is currently engaged as a Statutory Central Auditor of any nationalised bank or State Bank of India.



(छ) उम्मीदवार ऐसी किसी चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्म के साझेदार के रूप में कार्य न कर रहा हो जो वर्तमान में उस बैंक में सांविधिक शाखा लेखा परीक्षक या समवर्ती लेखा परीक्षक के रूप में कार्य कर रही हो, जिसमें चयन के लिए नामांकन दाखिल किया गया है।

(v) **कार्यावधि** - निर्वाचित निदेशक तीन साल के लिए पद धारण करेंगे और पुनः चयन के लिए पात्र होंगे: बशर्ते कि ऐसे कोई भी निदेशक, निरंतर या अंतराल सहित, छह वर्ष से अधिक की अवधि के लिए पद धारण नहीं करेंगे (संदर्भ: राष्ट्रीय बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970/80 का खंड 9 (4))

(vi) **व्यावसायिक प्रतिबंध** -

(क) उम्मीदवार का न तो संबंधित बैंक के साथ कोई व्यावसायिक संबंध (कानूनी सेवाओं, सलाहकार सेवाओं सहित) होना चाहिए और न ही ऐसी गतिविधियों में शामिल होना चाहिए, जिसके परिणामस्वरूप उस बैंक के साथ व्यावसायिक हितों का टकराव हो सकता है। उम्मीदवार का किसी बैंक या किसी अन्य बैंक को धारित करने वाली एनओएफएचसी के साथ कोई व्यावसायिक संबंध नहीं होना चाहिए।

बशर्ते कि चयन के लिए नामांकन दाखिल करते समय किसी बैंक के साथ इस तरह के संबंध रखने वाले उम्मीदवार को मद (ख) की अपेक्षाओं को पूर्ण करने वाला माना जाएगा, और उम्मीदवार समिति को यह घोषणा प्रस्तुत करेगा कि यदि वह निदेशक के रूप में निर्वाचित होता है तो बैंक के साथ संबंध समाप्त कर देगा और निर्वाचित होने पर बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्ति से पहले ऐसे संबंध समाप्त कर देता है।

(vii) **ट्रेक रिकॉर्ड और सत्यनिष्ठा** - उम्मीदवार को किसी भी विनियामक या पर्यवेक्षी प्राधिकरण /एजेंसी, या कानून प्रवर्तन एजेंसी की प्रतिकूल निगरानी के तहत नहीं होना चाहिए और किसी भी ऋणदाता संस्था का चूककर्ता नहीं होना चाहिए।

बैंक निर्वाचित निदेशक से निम्नलिखित प्राप्त करेगा:

- (क) ऐसे व्यक्ति द्वारा निदेशक का पद ग्रहण करने से पहले, अनुबंध में दिए गए प्रारूप अनुबंध 2 में निष्पादित प्रसंविदा विलेख।
- (ख) हर वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार इस आशय की एक साधारण घोषणा कि ऐसे व्यक्ति द्वारा पहले से उपलब्ध कराई गई जानकारी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।
- (ग) जहां निर्वाचित निदेशक ने सूचित किया है कि पहले दी गई सूचना में परिवर्तन है, बैंक ऐसे निदेशक से नया अनुबंध 1 प्राप्त करेगा जिसमें सभी परिवर्तन शामिल हों।

इसके अलावा बैंक बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 20 का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। साथ ही साथ-

(क) सुरक्षा उपायों की एक प्रणाली बनाएंगे, जिसमें निर्वाचित सीए निदेशक के/ उसकी फर्म के ग्राहकों और उसके/ उसकी फर्म के ग्राहकों से संबंधित बैंक के ऋण/ निवेश निर्णयों में भाग नहीं लेने संबंधी उपयुक्त प्रकटीकरण शामिल होंगी। निर्वाचित सीए निदेशक से अपेक्षित है कि इस पूरी प्रक्रिया से खुद को अलग रखें और इस आशय की प्रसंविदा पर हस्ताक्षर करें।

(ख) निर्वाचित निदेशक द्वारा व्यावसायिक संस्थाओं में अपने हितों और निदेशक-पद का पूर्ण और उचित प्रकटीकरण अपेक्षित है, साथ ही जिन संस्थाओं में उनके हित हैं, उनसे जुड़े बैंक के ऋण/ निवेश निर्णयों से निदेशक व्यक्तिगत रूप से खुद को अलग रखें और भाग नहीं लें।

(ग) ऐसे निदेशक के रूप में पद छोड़ने के बाद दो साल की अवधि तक बैंक किसी व्यक्ति को, जो उस बैंक का निर्वाचित निदेशक रह चुका है, को कोई व्यावसायिक कार्य आवंटित नहीं करेगा।

आगे परिपत्र यह भी उल्लेख करता है कि जहाँ निर्वाचित निदेशक:

(क) निम्नलिखित में असफल रहते हैं:

- (i) प्रसंविदा विलेख या घोषणा जमा करने में; या
- (ii) उपयुक्त प्रकटीकरण करने में; या
- (iii) जहां उनके हित जुड़े हैं, वहां ऋण/ निवेश निर्णयों में भाग लेने से; या



(g) The candidate should not be acting as a partner of a Chartered Accountant firm which is currently engaged as Statutory Branch Auditor or Concurrent Auditor of the bank in which nomination for election is filed.

(v) **Tenure** - An elected director shall hold office for three years and shall be eligible for re-election: Provided that no such director shall hold office for a period exceeding six years (Clause 9(4) of Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970/80), whether served continuously or intermittently.

(vi) Professional Restrictions -

a. The candidate should neither have any business connection (including legal services, advisory services etc.) with the concerned bank nor should be engaged in activities which might result in a conflict of business interests with that bank.

The candidate should not be having any professional relationship with a bank or any Non-Operative Financial Holding Company (NOFHC) holding any other bank.

Provided that a candidate having any such relationship with a bank at the time of filing nomination for election shall be deemed to be meeting the requirement under item (b), the candidate shall submit a declaration to the Committee that such relationship with the bank shall be severed if he is elected as a director, and upon being elected, severs such relationship before appointment as a director of the bank.

(vii) Track record and integrity - The candidate should not be under adverse notice of any regulatory or supervisory authority/agency, or law enforcement agency and should not be a defaulter of any lending institution.

The banks shall obtain from the elected director:

- (a) Deed of Covenant executed in the format given in Annex 2 to the RBI circular, before such person assumes office of director
- (b) a simple declaration every year as on 31st March to the effect that the information already provided by such person has not undergone any change.
- (c) Where the elected director informs that there is change in the information provided earlier, the bank shall obtain from such director a fresh Annex 1 incorporating the changes.

Further, the Circular also provides that the Bank shall also ensure compliance to Section 20 of the Banking Regulation Act, 1949. In addition,

- (a) Put in place a system of safeguards, including proper disclosure of the elected CA director's/his firm's clients, and not participating in bank's credit/investment decisions involving his/firm's clients. The elected CA director should be required to compulsorily dissociate himself from the entire process and sign a covenant to this effect.
- (b) Require the elected director to make a full and proper disclosure of his interests and directorships in business entities, with the director personally distancing himself from and not participating in the bank's credit/investment decisions involving entities in which he is interested.
- (c) Not allot any professional work to a person who was an elected director of that bank, for a period of two years after demitting office as such director.

Further the Circular provides that Where the elected director:

- (a) fails to
 - (i) submit the Deed of Covenant or declaration; or
 - (ii) make proper disclosures; or
 - (iii) refrain from participating in credit/investment decisions, where he is interested; or



(ख) अधूरे या गलत प्रकटीकरण करते हैं; या

(ग) ऐसी गतिविधियों में शामिल हैं, जो उन्हें उपर्युक्त मानदंडों के अनुसार "उचित और उपयुक्त नहीं" बनाते हैं, ऐसे निदेशक को बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9 की उपधारा (3 एए) की अपेक्षाओं को पूरा करने वाला नहीं माना जाएगा और वह इसके परिणामों के लिए उत्तरदायी होगा।

समिति यह देखेगी कि क्या ऊपर्युक्त मानदंडों में से किसी का भी पालन न करना बैंक के बोर्ड में निदेशक के रूप में कर्तव्यों का निर्वहन करने से मौजूदा निर्वाचित निदेशक / प्रस्तावित उम्मीदवार को बाधित करेगा।

इसके अलावा, उम्मीदवार की विषय में किसी भी प्राधिकारी / नियामक एजेंसी या किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान से किसी भी ऋण की चूक या दिवालियापन जैसी प्रतिकूल सूचना आना उम्मीदवार को बैंक के बोर्ड में निदेशक बनने के लिए अयोग्य और अनुचित बना देगा।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों/वित्तीय संस्थाओं/आरबीआई/बीमा कंपनियों में गैर - सरकारी निदेशक की नियुक्ति हेतु सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड

- संदर्भ :**
1. एफ.नं.16/83/2013-बीओ.आई ऑफ डीएफएस,एमओएफ, जीओआई, दिनांक 03 सितंबर, 2013
 2. एफ.नं.16/51/2012-बीओ.आई ऑफ डीएफएस, एमओएफ, जीओआई, दिनांक 25 मार्च 2015
 3. एफ.नं.16/51/2012-बीओ.आई ऑफ डीएफएस, एमओएफ, जीओआई, दिनांक 20 जुलाई 2016

ए) अनुभव

सरकारी क्षेत्र के बैंकों/आरबीआई/वित्तीय संस्थाओं/सार्वजनिक क्षेत्र के बीमा कंपनियों के बोर्ड में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक की नियुक्ति के लिए निम्नलिखित श्रेणियों में विचार किया जाएगा :

- क) कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बैंकिंग, सहकारिता, अर्थशास्त्र, व्यवसाय प्रबंधन, मानव संसाधन, वित्त, कॉर्पोरेट कानून, जोखिम प्रबंधन उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विशेष शैक्षिक प्रशिक्षण या व्यावहारिक अनुभव के साथ श्रेष्ठता वाले व्यक्तियों पर आमतौर से विचार किया जाएगा। वरिष्ठ स्तर पर 20 वर्षों के उद्योग के अनुभव,संबन्धित क्षेत्र में विशेषज्ञता (सफलतापूर्वक एक प्रतिष्ठित संगठन का नेतृत्व किया या एक असफल संगठन में बदलाव लाया) पसंदीदा होगा।
- ख) सेवानिवृत्त वरिष्ठ सरकारी अधिकारी 20 वर्षों का कुल अनुभव और संयुक्त सचिव और उपरोक्त स्तर पर न्यूनतम 10 वर्षों के अनुभव के साथ। सेवानिवृत्त अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/कार्यकारी निदेशकों को सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बोर्ड में गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए विचार नहीं किया जाएगा, जिसमें से वे सेवानिवृत्त हुए हैं। किसी अन्य सरकारी क्षेत्र के बैंक के बोर्ड में गैर-सरकारी निदेशकों के रूप में सरकारी क्षेत्र के बैंक के कार्यरत अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/कार्यपालक निदेशक की नियुक्ति के लिए विचार नहीं किया जाएगा।
- ग) प्रतिष्ठित प्रबंधन बैंकिंग संस्थान के अकादमिक निर्देशकों और प्रोफेसरों का अनुभव 20 वर्षों से अधिक का होना चाहिए।
- घ) 20 वर्षों के अनुभव (ऑडिट अनुभव को छोड़कर) वाले चार्टर्ड एकाउंटेंट्स पर भी विचार किया जाएगा।

बी) शैक्षणिक योग्यता

एक गैर-सरकारी निदेशक को कम से कम वरीयतः व्यवसाय प्रबंधन, जोखिम प्रबंधन, वित्त, मानव संसाधन और सूचना प्रौद्योगिकी में विशेषज्ञता के साथ किसी भी विषय में स्नातक होना चाहिए।

सी) उम्र

खोज समिति की संस्तुति की तारीख को निदेशक की आयु 67 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

डी) कार्य अनुभव

पेशेवर व्यक्तियों / शिक्षाविदों को उनके अपने विशिष्ट क्षेत्र में 20 वर्षों का कार्य अनुभव होना चाहिए।



- (b) makes incomplete or incorrect disclosures, or
- (c) involves in such activities that render him/her 'not fit and proper' as per the criteria mentioned above, such director shall be deemed to be not fulfilling the requirements of sub-section (3AA) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 and shall be liable for the consequences thereof.

The Committee shall see whether the non-adherence to any of the above criteria would hamper the existing elected director/proposed candidate from discharging the duties as a director on the Board of the bank.

Further, the candidate coming to the adverse notice of any authority/regulatory agency or insolvency or default of any loan from any bank or financial institution would make the candidate unfit and improper to be a director on the Board of a bank

Criteria laid down by Government of India for consideration as non-official Director in Public Sector Banks/ FIs/RBI/Insurance Companies

Ref.1. F.No.16/83/2013-BO.I of DFS, MoF, GOI dated 3rd September, 2013

2. F.No.16/51/2012-BO.I of DFS, MoF, GOI dated 28th April, 2015

3. F.No.16/51/2012-BO.I of DFS, MoF, GOI dated 20th July, 2016

A) Experience

The following categories of persons will be considered for appointment of Part-time Non-Official Director on the Boards of Public Sector Banks/Reserve Bank of India/Financial Institutions/Public Sector Insurance Companies:

- Persons of eminence with special academic training or practical experience in the field of agriculture, rural economy, banking, co-operation, economics, business management, human resources, finance, corporate law, Risk Management, industry and IT will ordinarily be considered. 20 years of industry experience at a senior position, established expertise in respective areas (Successfully led a reputed organization, brought turnaround in a failing organization) would be preferred.
- Retired senior Government officials with total experience of 20 years and minimum 10 years of experience at Joint Secretary and above level. Retired CMDs/EDs of Public Sector Banks after one year of retirement. The ex-CMDs/EDs will not be considered for appointment as NoD on the Board of the PSB from which they have retired. Serving CMDs/EDs of a PSB will not be considered for appointment as NoD on the Board of any other PSB.
- Academicians Directors of premier Management Banking Institutes and Professors having more than 20 years' experience.
- Chartered Accountants with 20 years' experience (excluding audit experience) would also be preferred.

B) Educational Qualification

An NoD should at least be a graduate in any stream preferably with specialization in Business Management, Risk Management, Finance, Human Resources and IT.

C) Age

The age of the Director, on the date of recommendation by Search Committee should not be more than 67 years.

D) Work Experience

Professionals/Academicians should ordinarily have 20 years of work experience in their particular field.

**इ) अयोग्यता**

- क) पहले से किसी बैंक/वित्तीय संस्थान/आरबीआई/बीमा कंपनी में किसी भी श्रेणी के निदेशक को किसी भी अन्य बैंक/ वित्तीय संस्थान/आरबीआई/बीमा कंपनी में गैर-सरकारी निदेशकों के रूप में नामांकन के लिए विचार नहीं किया जा सकता है।
- ख) किराया खरीद, वित्तपोषण निवेश, पट्टा एवं अन्य पैरा बैंकिंग गतिविधियां, सांसद, विधायक, विधान परिषद सदस्य और शेरर दलालों को बैंकों/वित्तीय संस्थान/आरबीआई/बीमा कंपनियों के बोर्डों पर गैर-सरकारी निदेशकों के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा। किराया खरीद, वित्तपोषण निवेश, पट्टा एवं अन्य पैरा बैंकिंग गतिविधियों में निवेशकों को गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा, यदि इन कंपनियों में कोई प्रबंधकीय नियंत्रण नहीं है।
- ग) किसी भी व्यक्ति को बैंक/वित्तीय संस्थान/आरबीआई/बीमा कंपनी के बोर्ड में गैर-सरकारी निदेशकों के रूप में फिर से नामित किया जा सकता है, जिस पर उसने किसी भी श्रेणी के अंतर्गत पिछले दो कार्यकाल या छह साल, जो भी अधिक हो, के लिए निदेशक के रूप में सेवा की है।

फ) कार्यकाल

एक गैर-सरकारी निदेशक को बैंक/वित्तीय संस्थान/आरबीआई/बीमा कंपनी के बोर्ड में निदेशक के रूप में नामांकन की अनुमति नहीं दी जाएगी, यदि ऐसा निदेशक पहले से ही किसी अन्य बैंक/वित्तीय संस्था/आरबीआई/बीमा कंपनी के बोर्ड में गैर-सरकारी निदेशक/शेररधारक निदेशक के रूप में छह वर्षों के लिए लगातार या आवधिक रूप में कार्यरत है।

जी) व्यवसायिक प्रतिबंध

- i) यदि कोई चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्म वर्तमान में किसी भी सरकारी क्षेत्र के बैंक (पीएसबी) में सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षक के रूप में कार्य कर रहा है, तो उस चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्म का कोई भी भागीदार किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/पीएसबी में गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
- ii) यदि कोई चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्म वर्तमान में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सांविधिक शाखा लेखापरीक्षक या समवर्ती लेखापरीक्षक के रूप में कार्यरत है, तो उस चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्म का कोई भी भागीदार उस बैंक में गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

अधिसूचना : भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकिंग विनियमन विभाग

डीबीआर. एपीटीटी. बीसी. नं.38/29.39.001/2016-17

डीबीआर. एपीटीटी. बीसी. नं.39/29.39.001/2016-17

24 नवंबर, 2016

बैंकिंग कंपनियों के लिए उपयोगी विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 10ए(2)(ए)(ix), भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 19ए(1)(ए)(viii), भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंकों) अधिनियम, 1959 की धारा 25ए(1)(ए)(viii) और बैंकिंग कम्पनियों (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की धारा 9(3ए)(ए)(viii) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने इस आशय की अधिसूचना जारी किया है कि (i) सूचना प्रौद्योगिकी (ii) भुगतान और निपटान प्रणाली (iii) मानव संसाधन (iv) जोखिम प्रबंधन और (v) व्यवसाय प्रबंधन से संबंधित मामलों या क्षेत्रों में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव बैंकिंग कंपनी, भारतीय स्टेट बैंक, अनुषंगी बैंक और समवर्ती नए बैंक, जैसी भी स्थिति हो, के लिए उपयोगी होगा।

**E) Disqualification**

- a) A Director already on a Bank/Financial Institutions (FIS)/RBI/Insurance Company, under any category, may not be considered for nomination as NoD in any other Bank/FI/RBI/Insurance Company.
- b) Persons connected with hire purchase, financing investment, leasing and other para-banking activities, MPs, MLAs, MLCs and Stock Brokers will not be appointed as Non-Official Directors on the Boards of Banks/FIs/RBI/Insurance Companies. Investors in a hire purchase, financing investment, leasing and other para banking activities would not be disqualified for appointment as NoD, if they are not having any managerial control in such companies.
- c) No person may be re-nominated as NoD on the Board of a Bank/FI/RBI/Insurance Company on which he/she has served as Director in the past under any category for two terms or six years whichever is longer.

F) Tenure

An NoD would not be considered for nomination as a Director on the Board of a Bank/FI/RBI/Insurance Company if such Director has already been a NoD/Shareholder Director on the Board of any other Bank/FI/RBI/Insurance Company for six years, whether continuously or intermittently.

G) Professional Restriction

- i) If a Chartered Accountant firm is currently engaged in any Public Sector Bank (PSB) as a Statutory Central Auditor, no partner of the same Chartered Accountant firm shall be eligible for appointment as a Non-Official Director in any Nationalized Bank/PSB.
- ii) If a Chartered Accountant firm is currently engaged in a Nationalised Bank as Statutory Branch Auditor or Concurrent Auditor, no partner of the same Chartered Accountant firms should be eligible for appointment as a Non-official Director in the same Bank.

NOTIFICATION : RESERVE BANK OF INDIA, DEPARTMENT OF BANKING REGULATION

DBR.Appt.BC.No.38/29.39.001/2016-17

DBR.Appt.BC.No.39/29.39.001/2016-17

November 24, 2016

Special knowledge or practical experience useful to banking companies

In exercise of the powers conferred by Section 10A(2)(a)(ix) of the Banking Regulation Act, 1949, Section 19A(1)(a)(viii) of State Bank of India Act, 1955, Section 25A(1)(a)(viii) of State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959 and Section 9(3A)(A)(viii) of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970/1980, Reserve Bank of India hereby notifies that special knowledge or practical experience in matters or areas relating to (i) Information Technology (ii) Payment & Settlement Systems (iii) Human Resources (iv) Risk Management and (v) Business Management would be useful to a banking company, State Bank of India, subsidiary bank and a corresponding new bank, as the case may be.



नामांकन फॉर्म

(विनियमों के विनियम 65 (i) (डी) देखें)

सेवा में,
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
यूको बैंक
10, बीटीएम सरणी,
(ब्राबोर्न रोड)
कोलकाता- 700001

महोदय,

निदेशकों का चुनाव

आपकी दिनांक 14 अक्टूबर, 2020 को जारी सूचना के संदर्भ में, मैं,
चुनाव में भाग लेने की अंतिम तारीख 23 अक्टूबर, 2020 को प्रत्येक रु 10/- के इक्विटी शेयर धारित करनेवाला यूको बैंक
का शेयरधारक, इसके द्वारा श्री/श्रीमती
पुत्र/पुत्री/पत्नीनिवासीको बैंकिंग कंपनियां (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण)
अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (i) के प्रावधान के अनुसार, दिनांक 26 नवम्बर, 2020 को आयोजित यूको बैंक के शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक
में शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करनेवाले यूको बैंक के निदेशक के रूप में चुने जाने के लिए इसके द्वारा नामित करता हूँ।

नाम	
हस्ताक्षर	
शेयरों की संख्या	
पंजीकृत फोलियो नं. (यदि अभौतिक न हो)	
डीपी आईडी सं. ग्राहक आईडी सं. (यदि अभौतिक रूप में हो)	
स्थान	
दिनांक	

टिप्पणी

- 1) यदि किसी निगमित निकाय द्वारा नामांकन किया जाता है तो नामांकन फॉर्म के साथ पारित संकल्प की एक प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि संलग्न की जानी चाहिए और उस पर जिस बैठक में इसे पारित किया गया है उसके अध्यक्ष के हस्ताक्षर होने चाहिए ।
- 2) उम्मीदवार का नामांकन करने वाले शेयरधारकों के हस्ताक्षर रजिस्ट्रार एवं बैंक के शेयर अंतरण एजेंट के पास उपलब्ध नमूना हस्ताक्षर से मिलने चाहिए।
- 3) यदि उपर्युक्त में से कोई कॉलम रिक्त छोड़ा गया या विवरण असत्य पाया गया तो नामांकन रद्द किया जा सकता है ।



NOMINATION FORM

(Refer Regulation 65 (i) (d) of the Regulations)

To
The Managing Director & CEO
UCO Bank,
10, B.T.M. Sarani,
(Brabourne Road),
Kolkata - 700 001

Dear Sir,

ELECTION OF DIRECTOR

With reference to your Notice Dated 14th October, 2020, I....., a shareholder of UCO Bank holding.....equity shares of Rs. 10/- each as on 23rd October, 2020 i.e. the Specified date for participating in the election, do hereby nominate Shri/Smt.....son/daughter/wife ofresiding at for being elected as a Director of UCO Bank representing the shareholders of the Bank as provided in Section 9(3)(i) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970 at the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of the Bank to be held on 26th November, 2020.

Name	
Signature	
No. of shares	
Regd. Folio No. (if not dematerialized)	
DP ID No. Client ID No. (if dematerialized)	
Place	
Date	

Notes :

- 1) In case nomination is made by a body corporate, the Nomination Form should be accompanied by a certified true copy of the resolution passed by the Board of Directors under the signature of the Chairman of the meeting at which it was passed.
- 2) Signature of the shareholders nominating the candidature should match with the specimen signature available with the Share Transfer Agent of the Bank.
- 3) If any of the columns above is left Blank or the particulars are found to be incorrect, the nomination is liable to be rejected.



घोषणा
(प्रत्याशी के द्वारा)

मैं.....सुपुत्र/
सुपुत्री/पत्नी, श्री/श्रीमती.....
निवासी.....

एतद्वारा पुष्टि करता हूँ/करती हूँ कि :

- (क) मैं विनिर्दिष्ट तारीख अर्थात् दिनांक, 2020 को निर्वाचन में भाग लेने के लिए फोलियो सं./डीपी आईडी नं./ग्राहक आईडी नं. बैंक केइक्विटी शेयरों का धारक हूँ और
- (ख) *मुझे (i) कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, (ii) बैंकिंग, (iii) सहकारिता, (iv) अर्थशास्त्र, (v) वित्त, (vi) विधि (vii) लघु उद्योग या सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित क्षेत्र/मानव संसाधन/जोखिम प्रबंधन एवं व्यवसाय प्रबंधन जो भारतीय रिजर्व बैंक की राय में बैंक के लिए उपयोगी होगा और मैं, धारा 9 की उप-धारा 3(ए) के संदर्भ में जमाकर्ताओं या किसानों, मजदूरों और कारीगरों के हितों का प्रतिनिधित्व करता हूँ तथा उसके साक्ष्य में संबंधित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करता/करती हूँ कि
- (ग) मैं, नामांकन संख्या स्वीकार करता/करती हूँ तथा
- (घ) मैं, यूको बैंक के शेयरधारक निदेशक का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक हूँ तथा
- (ङ) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970, राष्ट्रीयकृत बैंकों (प्रबंध और विविध प्रावधान) योजना, 1970, यूको बैंक (शेयर और बँडके) विनियम, यथासंशोधित 2003, इस संबंध में आरबीआई द्वारा जारी संबंधित अधिसूचनाएं, भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों तथा सेबी (दायित्वों का सूचिकरण एवं आवश्यकताओं का प्रकटीकरण) विनियम, 2015 के प्रावधानों के अंतर्गत बैंक के निदेशक होने से मुझे अयोग्य घोषित नहीं किया गया तथा

मैं निम्नलिखित के अनुसार विशेष रूप से घोषणा करता हूँ कि

- क. मैंने, न तो लाभ का कोई पद धारण किया है और न ही मैं किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (1) के तहत गठित भारतीय स्टेट बैंक या भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 3 में परिभाषित किसी सहयोगी बैंक का कर्मचारी हूँ।
- ख. मुझे, किसी भी आर्थिक अधिकारी या न्यायिक मजिस्ट्रेट या उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित नहीं किया गया है; तथा
- ग. मुझे, किसी भी समय दिवालिया के रूप में घोषित नहीं किया गया है या मैंने लेनदारों का भुगतान रोका या प्रशमन किया हो; तथा
- घ. मुझे, सक्षम न्यायालय द्वारा विकृत दिमाग का नहीं पाया गया है और किसी अपराध जिसमें नैतिक चरित्रहीनता भी शामिल है, के लिए फ़ौजदारी न्यायालय द्वारा दोषी नहीं ठहराया गया है; तथा
- ङ. मैं किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक या वित्तीय संस्था या आरबीआई या बीमा कंपनी में निदेशक के पद पर नहीं हूँ; और
- च. मैं, विगत में इस बैंक के बोर्ड में, किसी भी श्रेणी के अंतर्गत दो कार्यकाल या छह साल के लिए जो भी अधिक हो, निदेशक नहीं रहा हूँ; तथा
- छ. मैं, विगत में सरकारी क्षेत्र के किसी बैंक या वित्तीय संस्था में किसी भी श्रेणी के अंतर्गत (सीए श्रेणी सहित) दो कार्यकाल या छह साल के लिए जो भी अधिक हो, लगातार या आंतरायिक रूप में निदेशक नहीं रहा हूँ; तथा
- ज. पिछले तीन वर्षों के दौरान बैंक के साथ मेरे व्यापारिक संबंध नहीं हैं।
- झ. मैं, किसी किराया खरीद, वित्तपोषण निवेश, पट्टा एवं अन्य पैरा-बैंकिंग गतिविधियों से नहीं जुड़ा हूँ या मैं, सांसद/विधायक/एमएलसी या किसी नगर निगम का सदस्य या नगरपालिका या अन्य स्थानीय निकाय यथा अधिसूचित क्षेत्र परिषद, पंचायत, ग्राम सभा, जिला परिषद आदि का ब्रोकर नहीं हूँ तथा किसी स्टॉक ब्रोकिंग के व्यवसाय से संबंधित नहीं हूँ; एवं



- ज. न मैं और न मेरे फर्म का कोई भी भागीदार वर्तमान में किसी भी सरकारी क्षेत्र के बैंक या भारतीय स्टेट बैंक में सांविधिक केन्द्रीय लेखापरीक्षक के रूप में कार्यरत नहीं है
- ट. न मैं और न मेरे फर्म का कोई भी भागीदार वर्तमान में यूको बैंक में सांविधिक शाखा लेखापरीक्षक या समवर्ती लेखापरीक्षक के रूप में कार्यरत है; और
- ठ. यदि, किसी बैंक या किसी अन्य बैंक के किसी गैर-संचालित वित्तधारक कंपनी (एनओएफएचसी) के साथ मेरे घनिष्ठ व्यावसायिक संबंध रहे हों परंतु निदेशक के रूप में निर्वाचित और उसके बाद की दो वर्षों की अवधि के लिए यूको बैंक के साथ मेरे घनिष्ठ व्यावसायिक संबंध नहीं होंगे; तथा
- ड. मैं, जब तक बैंक के निदेशक के पद पर कायम रहूँगा तब तक सेबी (दायित्वों का सूचिकरण एवं आवश्यकताओं का प्रकटीकरण) विनियम, 2015 यथासंशोधित के प्रासंगिक प्रावधानों का अनुपालन करने का वचन देता हूँ।
- ढ. मैं, इस घोषणा के बाद हुए घटनाओं (यदि कोई हो), जो यहां दिए गए सूचनाओं से संबन्धित हैं एवं बैंक के निदेशक के रूप में मेरे निर्वाचन की उपयुक्तता के करारों को निष्पादित करते हैं, की जानकारी यथाशीघ्र बैंक को देने का वचन देता हूँ; तथा
- ण. मैं, अन्य कंपनियों/बैंकों में अपने वर्तमान और पिछले निदेशकत्व का विवरण नीचे दे रहा हूँ: तथा

कंपनी/बैंक का नाम	निदेशक विवरण कार्यकाल एवं आदि

(जो लागू न हो उसे काट दें।)

- त. मैं, अपने व्यक्तिगत विवरणों को संलग्न करता हूँ जो मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सभी तरह से सत्य और पूर्ण है;

स्थान :

हस्ताक्षर

दिनांक :

नाम

उक्त घोषणा पर हस्ताक्षर मेरे सामने किए गए।

न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार, या राजपत्रित अधिकारी या आरबीआई या यूको बैंक या किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी के मुहर के साथ हस्ताक्षर।

(*जो लागू न हो उसे काट दें।)

.....
* हस्ताक्षर और तारीख के साथ मुहर



Declaration
(By the Candidate)

I,son/daughter/ wife of Shri/Smt..... a resident ofhereby confirm that :

- a. I am a shareholder holding.....equity shares of the Bank under Folio No...../ DPID No...../Client ID No..... as on Friday, 23rd October, 2020 i.e. the specified date for participating in the elections, and
- b. *I have special knowledge or practical experience in (i) agriculture and rural economy, (ii) banking, (iii) co-operation, (iv) economics, (v) finance (vi) law,(vii) small scale industry, or in the areas relating to Information Technology/Payment and Settlement Systems/Human Resources/Risk Management and Business Management which in the opinion of Reserve Bank of India would be useful to the Bank and I represent the interest of the depositors and/ or farmers, workers and artisans, in terms of sub-section 3A of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and as an evidence thereof, I submit herewith the relevant testimonials, that
- c. I accept the nominations numbering....., and
- d. I am willing to contest for the election of Director of UCO Bank, and
- e. I am not disqualified from being a director of the Bank under the provisions of the Banking Regulations Act, 1949, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings), Act 1970, Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the UCO Bank (Shares & Meetings) Regulations, 2003 as amended, relevant Notifications issued by the Reserve Bank of India, Guidelines issued by the Govt. of India and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, in this regard, and

I specifically declare as under :

- a. I neither hold any office of profit nor am an employee of any Nationalized Bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955 or any Subsidiary Bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, and
- b. I have not been declared as proclaimed offender by any Economic Officer or Judicial Magistrate or High Court or any other Court, and
- c. I have not been at any time adjudicated as an insolvent or have suspended payment or have been compounded with the creditors, and
- d. I have not been found to be of unsound mind and stand so declared by a competent court and has not been convicted by competent court and have not been convicted by a criminal court of an offence which involves moral turpitude, and
- e. I am not a Director in any other Public Sector Bank or Financial Institution or RBI or Insurance Company; and
- f. I have not been a Director on the Board of this Bank, in the past, under any category for two terms or six years whichever is longer; and
- g. I have not been a Director of any Public Sector Bank or Financial Institution under any category (including CA Category) for two terms or six years, whether continuously or intermittently, and
- h. I have not had business relationship with the Bank during the last three years.
- i. I am not connected with any hire purchase, financing, money lending, investment, leasing and other para banking activities, or am not MP, MLA's, MLC's or a Member of any Municipal Corporation or Municipality or other local bodies viz Notified Area Council, City Council, Panchayat, Gram Sabha, Zilla Parishad etc. and is not connected with the business of stock broking; and



- j. Neither myself nor any partner of my firm is currently engaged in any Nationalised Bank or State Bank of India as a Statutory Central Auditor; and
- k. Neither myself nor any partner of my firm is currently engaged as Statutory Branch Auditor or Concurrent Auditor of UCO Bank; and
- l. I will sever professional relationship, if any, with a Bank or any Non-operative Financial Holding Company (NOFHC) holding any other Bank forthwith on getting elected and will not undertake any professional relationship with UCO Bank during my tenure as Director and for a period of two years thereafter; and
- m. I undertake to comply with the relevant provisions of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended till I hold the position of Director of the Bank
- n. I undertake to keep the Bank fully informed, as soon as possible, of events, if any, which take place subsequent to this declaration which are relevant to the information provided hereto and to execute the Deed of Covenants upon my election as a Director of the Bank.
- o. I give below the details of my present as well as past directorship details in other companies/banks :

Name of the company/bank	Director details Tenure & Period

Add additional sheet, if necessary.

- p. I enclose my personal details which are to the best of my knowledge and belief true and complete in all respects.

Place :

Signature _____

Date :

Name _____

The above declaration signed before me.

Signature with Seal of Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurance, or other Gazetted Officer or an officer of the Reserve Bank of India or UCO Bank or any nationalized Bank.

(*Delete whichever is not applicable.)

*Signature & Seal with date



बैंक का नाम : यूको बैंक

संभावित निदेशक (प्रत्याशी) द्वारा घोषणा एवं वचनपत्र
(उपयुक्त अनुलग्नक के साथ)

यहां पासपोर्ट
साइज का
फोटो
चिपकाएँ

क्र. सं.	विवरण	प्रदान सूचना		
I. व्यक्तिगत विवरण				
1.	पूरा नाम	प्रथम नाम	मध्य नाम	अंतिम नाम
2.	पिता का नाम			
3.	लिंग (पु./स्त्री./अन्य)			
4.	वर्तमान पता			
5.	ई-मेल एवं वैकल्पिक ई-मेल : एसटीडी कोड के साथ टेलीफोन न. : मोबाइल संख्या :			
6.	राष्ट्रियता			
7.	जन्म तिथि (दद/मम/वववव) एवं उम्र	___/___/___ उम्र: ___ वर्ष ___ माह		
8.	शैक्षणिक योग्यता			
9.	निदेशक पहचान संख्या (डीआइएन)			
10.	आधार (वैकल्पिक)			
11.	(ए) स्थायी खाता संख्या (पैन) (बी) शुल्क जहां प्रस्तावित निदेशक का मूल्यांकन कर के लिए किया जाता है (आयकर क्षेत्राधिकार)/आयकर परिमंडल/वार्ड का नाम और पता (सी) पिछले 3 वर्षों का रिटर्न फाइलिंग और कर भुगतान का विवरण	फाइलिंग	कर भुगतान की राशि (रु.)	
12.	स्थायी पता			
13.	लेखा, कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बैंकिंग, सहकारिता, अर्थशास्त्र, वित्त, कानून, लघु उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी जैसे किसी एक या अधिक मामलों के संबंध में प्रासंगिक ज्ञान या अनुभव पर संक्षिप्त विवरण के रूप में विवरण, भुगतान और निपटान प्रणाली, मानव संसाधन, जोखिम प्रबंधन, व्यवसाय प्रबंधन या किसी अन्य मामले का विशेष ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव जो रिजर्व बैंक की राय में बैंकिंग कंपनी के लिए उपयोगी होगा।			



14.	वर्तमान पेशा (पदनाम, संस्था का नाम और अनुभव का संक्षिप्त विवरण)																	
15.	“न्यूनतम पिछले 10 वर्षों के दौरान पूर्व पेशा, जिसमें संगठन का पूरा पता, कार्यग्रहण की तारीख, कार्यमुक्त की तारीख (कारणों सहित), पदनाम आदि शामिल हो।”																	
16.	सनदी लेखाकार के मामले में, कृपया निम्नलिखित बताएं : (ए) भारत के सनदी लेखाकार संस्थान(आईसीएआई) की सदस्यता संख्या (बी) आईसीएआई से पंजीकरण की तारीख: (सी) पंजीकृत फर्म का नाम और पता: (डी) फर्म या आपके द्वारा वर्तमान में किए गए लेखापरीक्षा का विवरण																	
17.	शाखा सहित बैंक(ओं) का नाम एवं खाता संख्या (बचत/चालू/ऋण खाता) जहां आप एक मुख्य खाता धारक हैं।	<table border="1"> <thead> <tr> <th>बैंक का नाम</th> <th>शाखा</th> <th>खाते का प्रकार</th> <th>खाता संख्या</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	बैंक का नाम	शाखा	खाते का प्रकार	खाता संख्या												
बैंक का नाम	शाखा	खाते का प्रकार	खाता संख्या															
18.	शेयरधारिता का विवरण, यदि किसी संस्था में है, या तो भौतिक रूप में या विमुद्रीकृत रूप में, आपके द्वारा, पति / पत्नी और आपके अवयस्क बच्चे द्वारा। (डीमैट / शेयरहोल्डिंग प्रमाणपत्र संलग्न करें)																	
19.	बैंक के निर्देशन से प्रासंगिक कोई अन्य जानकारी:																	
II. प्रस्तावित निदेशक के संगत रिश्ते																		
20.	रिश्तेदारों की सूची, [कंपनी अधिनियम, 2013 एवं कंपनियों के नियम 4 का संदर्भ लें (परिभाषा की विशिष्टता) नियम, 2014] यदि कोई हो जिसका किसी बैंक से कोई संबंध हो:																	
21.	संस्थाओं की सूची जिसमें : (ए) रुचि है [कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 184 का संदर्भ लें]: (बी) लाभकारी स्वामित्व [कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 89 के रूप में एमसीए के लागू महत्वपूर्ण लाभकारी स्वामित्व नियमों का संदर्भ लें : (सी) न्यासी (एक ट्रस्ट के संदर्भ में किसी अन्य संबंध का भी उल्लेख करें :																	
22.	मौजूदा और प्रस्तावित संस्थाओं की सूची, जिसमें बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5 (एन) 1 के अर्थ के भीतर पर्याप्त रुचि है।	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>कंपनी/फर्म का नाम</td> <td></td> </tr> <tr> <td>निगमन का देश</td> <td></td> </tr> <tr> <td>शेयरों की संख्या</td> <td></td> </tr> <tr> <td>प्रत्येक शेयर का अंकित मूल्य</td> <td></td> </tr> <tr> <td>शेयर धारिता का कुल मूल्य</td> <td></td> </tr> <tr> <td>कुल पेड-अप पूंजी के % के रूप में शेयरधारिता</td> <td></td> </tr> <tr> <td>लाभकारी रुचि (मूल्य में और % में)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>क्या संस्था कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत धारा 8 की कंपनी है।</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	कंपनी/फर्म का नाम		निगमन का देश		शेयरों की संख्या		प्रत्येक शेयर का अंकित मूल्य		शेयर धारिता का कुल मूल्य		कुल पेड-अप पूंजी के % के रूप में शेयरधारिता		लाभकारी रुचि (मूल्य में और % में)		क्या संस्था कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत धारा 8 की कंपनी है।	
कंपनी/फर्म का नाम																		
निगमन का देश																		
शेयरों की संख्या																		
प्रत्येक शेयर का अंकित मूल्य																		
शेयर धारिता का कुल मूल्य																		
कुल पेड-अप पूंजी के % के रूप में शेयरधारिता																		
लाभकारी रुचि (मूल्य में और % में)																		
क्या संस्था कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत धारा 8 की कंपनी है।																		



23.	विदेशों में शामिल संस्थाओं और भारत में कारोबार करने की जगह का विवरण।	
24.	बैंक / एनबीएफसी / किसी अन्य कंपनी का नाम जिसमें वर्तमान में या पूर्व में बोर्ड / सलाहकार आदि का सदस्य है। (उस अवधि का विवरण दें जिसके दौरान ऐसे कार्यालय थे)	
25.	अगर किसी भी संस्था द्वारा भाड़े की खरीद, वित्तपोषण, निवेश, पट्टे और अन्य पैरा बैंकिंग गतिविधियों (उल्लेख किए जाने वाले संघ की प्रकृति) के साथ जुड़ा हुआ है, तो उसका विवरण।	
26.	यदि स्टॉक ब्रोकर या शेयर ब्रोकिंग गतिविधियों में संलग्न किसी भी इकाई से जुड़ा हुआ है, तो उसका विवरण।	
27.	निधि और गैर-निधि-आधारित सुविधाओं का विवरण, यदि कोई हो, वर्तमान में (21) से (26) में सूचीबद्ध संस्थाओं और (या 21) में प्राप्त किया गया है।	
28.	मामले, यदि कोई हो, जहां बैंक या एनबीएफसी / किसी अन्य उधार देने वाली संस्था से प्राप्त ऋण सुविधाओं के संबंध में एक व्यक्ति या उपर्युक्त (21) से ऊपर सूचीबद्ध संस्थाओं ने (26) पूर्व में विलफुल डिफॉल्ट के रूप में डिफॉल्ट या घोषित किया है।	
	<p>1"पर्याप्त रुचि" (i) एक कंपनी के संबंध में, एक व्यक्ति या उसके पति या नाबालिग बच्चे द्वारा एक लाभदायक ब्याज की होल्डिंग का मतलब है, चाहे वह अकेले हो या एक साथ, शेयरों में, भुगतान की गई राशि, जिस पर पांच लाख रुपये या दस प्रतिशत से अधिक कंपनी की चुकता पूंजी है,, जो भी कम हो; (ii) एक फर्म के संबंध में, एक व्यक्ति या उसके पति या नाबालिग बच्चे द्वारा आयोजित हितकारी ब्याज का मतलब है, चाहे वह अकेले हो या एक साथ लिया गया हो, जो उक्त फर्म के सभी भागीदारों द्वारा निर्धारित कुल पूंजी का दस प्रतिशत से अधिक का प्रतिनिधित्व करता है।</p>	
III. व्यवसायिक उपलब्धियों का रिकार्ड		
29.	निर्देशन के लिए संगत व्यावसायिक उपलब्धियाँ।	
IV. संभावित निदेशक के विरुद्ध की गई कार्यवाही, यदि कोई हो		
30.	(ए) एक पेशेवर संघ / निकाय के सदस्य के रूप में, अनुशासनात्मक कार्रवाई का विवरण, यदि कोई है, तो लंबित या शुरू या जिसके परिणामस्वरूप पूर्व में दोषी ठहराया गया है या किसी भी समय किसी भी पेशे / व्यवसाय में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।	
	(बी) यदि किसी भी पेशेवर शिकायत या गतिविधियों के संबंध में किसी भी लिखित शिकायत या आरोप का विषय है, तो उसका विवरण।	
31.	अभियोजन का विवरण, यदि कोई हो, लंबित या शुरू या जिसके परिणामस्वरूप स्वयं को दोषी ठहराया गया हो या (21) से (26) के लिए सूचीबद्ध संस्थाएँ आर्थिक कानूनों और नियमों का उल्लंघन।	
32.	आपराधिक अभियोजन का विवरण, यदि कोई हो, लंबित या सजा या जिसके परिणामस्वरूप सजा हो।	
33.	यदि एएमएल / सीएफटी दिशानिर्देशों के किसी भी उल्लंघन में लिप्त हैं, तो उसका विवरण।	
34.	यदि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 के तहत परिकल्पना की गई किसी भी अयोग्यता को आकर्षित करती है, तो उसका विवरण।	
35.	यदि दिवालिया घोषित कर दिया गया है या भुगतान रोक दिया है या लेनदारों के साथ समझौता कर लिया है, तो उसका विवरण।	
36.	यदि कोई अस्वस्थ मस्तिष्क का पाया जाता है और एक सक्षम न्यायालय द्वारा घोषित किया जाता है, तो उसका विवरण	



37.	(ए) यदि किसी अपराध को एक दण्ड न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया जाता है जिसमें नैतिक क्रूरता या कुह और शामिल है, तो उसका विवरण। (बी) यदि किसी न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया जाता है, तो उसका ब्यौरा क्या है?	
38.	यदि किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक के अधीन किसी भी लाभप्रद कार्यालय का एक पूर्णकालिक निदेशक के पद को छोड़कर, उसका विवरण दें।	
39.	यदि (21) से (26) उम्र किसी व्यक्ति या किसी भी संस्था के रूप में पिछले नियोक्ता या सरकारी विभागों या एजेंसी में से किसी भी जांच / सतर्कता / मामलों के अधीन हो, तो उसका विवरण दें।	
40.	यदि सीमा शुल्क / उत्पाद शुल्क / आयकर / विदेशी मुद्रा / अन्य राजस्व अधिकारियों द्वारा नियमों / विनियमों / विधायी आवश्यकताओं के उल्लंघन का दोषी पाया जाता है, तो उसका विवरण।	
41.	अगर किसी भी नियामक जैसे सेबी, आईआरडीएआई, पीएफआरडीए आदि, पेशेवर संगठन, सरकारी एजेंसी, या अदालत द्वारा पेशेवर आदेशों या गतिविधियों के कारण अदालत को फटकार लगाई गई, प्रतिबंधित, निलंबित, निलंबित, रोक दी गई, या अन्यथा मंजूरी दे दी गई, तो उसका विवरण। <i>(यद्यपि किसी अभ्यर्थी के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि वह आदेशों और निष्कर्षों, जिन्हें बाद में पूर्णतः बदल दिया/रद्द कर दिया गया, का उल्लेख करें, किन्तु यदि बदलाव, रद्द करना, सीमांकन अथवा क्षेत्राधिकार इत्यादि जैसे तकनीकी कारणों से किया गया हो तो इसका उल्लेख करना आवश्यक होगा। यदि आदेश अस्थायी रूप से स्थगित कर दिए जाए जहां अपील/न्यायालय प्रक्रियाएँ लंबित होने पर भी इनका उल्लेख किया जाना चाहिए।)</i>	
V. सामान्य जानकारी		
42.	यदि कोई सनदी लेखाकार, वकील आदि जैसे पेशेवर और किसी भी बैंक में कोई पेशेवर काम करते हैं / वर्तमान में, बैंक के नाम और बैंक के सहयोग की अवधि सहित विवरण प्रदान करें।	
43.	यदि कोई सांसद / विधायक / एमएलसी या नगर निगम या नगर पालिका या अन्य स्थानीय निकायों में राजनीतिक पद पर है, तो उसका विवरण प्रदान करें।	
VI.		
	प्रकटीकरण और पारदर्शिता के हित में, फिट और उचित 'का आकलन करने के लिए प्रासंगिक कोई अन्य जानकारी हो' तो इसका विवरण प्रदान करें।	

वचनपत्र

मैं पुष्टि करता हूँ कि उपर्युक्त सूचना मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और पूरी है। मैं वचन देता हूँ कि मेरी नियुक्ति किए जाने के बाद ऊपर प्रदान कि गई सूचना से प्रासंगिक जो कुछ भी घटित होगा उन सभी बातों से मैं बैंक को शीघ्र से शीघ्र पूर्णतया अवगत कराऊंगा मैं 'प्रतिज्ञा का प्रलेख' भी निष्पादित करने का वचन देता हूँ जिसे बैंक के साथ निष्पादित करने की आवश्यकता है।

स्थान :

तारीख :

उम्मीदवार का हस्ताक्षर

नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) की टिप्पणी ने स्वयं को आस्वस्त किया है कि उपर्युक्त जानकारी सत्य और पूर्ण है।

स्थान :

तारीख :

एनआरसी के अध्यक्ष का हस्ताक्षर



Name of the Bank: UCO Bank

**Declaration and Undertaking' by a Proposed Director (candidate)
(with appropriate enclosures)**

Affix
passport size
photo here

Sl. No.	Particulars	Information Disclosed		
I. Personal Details				
1.	Name in full	First Name	Middle Name	Last Name
2.	Father's name			
3.	Gender (M/F/others)			
4.	Present address			
5.	E-mail address & alternate e-mail address: Telephone Number with STD code: Mobile Number:			
6.	Nationality			
7.	Date of Birth (dd/mm/yyyy) and Age	___/___/_____ Age: _____ years _____ months		
8.	Educational qualifications			
9.	Director Identification Number (DIN)			
10.	Aadhaar Number (Optional)			
11.	(a) Permanent Account Number (PAN) (b) Charge where the proposed director is assessed to tax (Income Tax jurisdiction)/name and address of Income Tax Circle/Ward (c) Details of filing of return(s) and payment of taxes for past 3 years	Date of filing	Amount of tax paid (Rs.)	
12.	Permanent address			
13.	Details in the form of a brief write up on the relevant knowledge or experience in respect of one or more of the matters namely accountancy, agriculture and rural economy, banking, co-operation, economics, finance, law, small scale industry, information technology, payment and settlement systems, human resources, risk management, business management or any other matter the special knowledge of and practical experience of which would in the opinion of the Reserve Bank be useful to the Banking Company.			



14.	Present occupation (designation, name of the organization and brief write-up on experience)				
15.	Previous occupation covering minimum of past ten years, with complete address of the organization(s) worked in, date of joining, date of relieving (including reasons), designation, etc.				
16.	In case a Chartered Accountant, indicate the following: (a) Membership Number of Institute of Chartered Accountants of India (ICAI): (b) Date of registration with the ICAI: (c) Name and Address of the registered firm/s: (d) Details of the Audit(s) presently undertaken by the firm(s) or by you:				
17.	Name of the banker(s) with Branch and Account Numbers (savings/current/loan accounts) where you are a primary account holder:	Bank Name	Branch	Type of A/c	A/c Number
18.	Details of shareholding, if held in any entity, either in physical or dematerialized form, by you, spouse, and your minor child. (attach demat/shareholding certificate)				
19.	Any other information relevant to directorship of the bank:				
II. Relevant Relationships of proposed director					
20.	List of relatives, [Refer Section 2(77) of the Companies Act, 2013 and Rule 4 of the Companies (Specification of Definition) Rules, 2014] if any, who are connected with any bank:				
21.	List of entities in which: (a) interested [Refer Section 184 of the Companies Act, 2013]: (b) beneficial ownership [Refer Section 89 of Companies Act, 2013 as also the applicable Significant Beneficial Ownership Rules of MCA]: (c) Trustee (also mention any other relationship with reference to a trust):				
22.	List of entities, existing and proposed, in which holding substantial interest within the meaning of Section 5(ne) ¹ of the Banking Regulation Act, 1949.	Name of the company / firm			
		Country of incorporation			
		Number of shares			
		Face Value of each share			
		Total face value of share holding			
		Shareholding as % of total Paid up Capital			
		Beneficial interest (in value as well as % terms)			
		Whether the entity is a Section 8 Company under Companies Act, 2013			



23.	Details of holdings in entities incorporated abroad and having a place of business in India.	
24.	Name of Bank/NBFC/any other company in which currently or in the past a member of the Board/ Advisor etc. (giving details of period during which such office is being/ was held).	
25.	If connected with any entity undertaking hire purchase, financing, investment, leasing and other para banking activities (nature of association to be mentioned), details thereof.	
26.	If a stock broker or connected with any entity engaged in share broking activities, details thereof.	
27.	Details of fund and non-fund-based facilities, if any, presently availed in person and/or by entities listed in (21) to (26) above.	
28.	Cases, if any, where as an individual or the entities listed at (21) to (26) above have defaulted or declared as willful defaulter in the past in respect of credit facilities obtained from a bank/NBFC/any other lending institution.	
	<p>"substantial interest" (i) in relation to a company, means the holding of a beneficial interest by an individual or his spouse or minor child, whether singly or taken together, in the shares thereof, the amount paid up on which exceeds five lakhs of rupees or ten percent of the paid-up capital of the company, whichever is less; (ii) in relation to a firm, means the beneficial interest held therein by an individual or his spouse or minor child, whether singly or taken together, which represents more than ten per cent of the total capital subscribed by all the partners of the said firm.</p>	
III. Records of professional achievements		
29.	Professional achievements relevant for the directorship.	
IV. Proceedings, if any, against the proposed director		
30.	(a) As a member of a professional association/body, details of disciplinary action, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past or whether been banned from entry at any profession/ occupation at any time, details thereof.	
	(b) If subject of any written complaint or accusation regarding individual professional conduct or activities, details thereof.	
31.	Details of prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction of self or the entities listed at (21) to (26) above for violation of economic laws and regulations.	
32.	Details of criminal prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction.	
33.	If indulged in any breach of AML/CFT guidelines, details thereof.	
34.	If attracting any of the disqualifications envisaged under Section 164 of the Companies Act, 2013, details thereof.	
35.	If adjudicated insolvent or has suspended payment or has compounded with creditors, details thereof.	
36.	If found to be of unsound mind and stands so declared by a competent Court, details thereof.	



37.	(a) If convicted by a Criminal Court of an offence which involves moral turpitude or otherwise, details thereof.	
	(b) If convicted by any Court of law, details thereof ?	
38.	If holding any office of profit under any nationalized bank or State Bank of India, except for holding the post of a whole-time director, details thereof.	
39.	If as an individual or any of the entities at (21) to (26) above have been subject to any investigation/vigilance/ matters of enquiry from any of the previous employers or government departments or agency, details thereof.	
40.	If found guilty of violation of rules/ regulations/ legislative requirements by customs/ excise/ income tax/ foreign exchange/ other revenue authorities, details thereof.	
41.	If reprimanded, censured, restricted, suspended, barred, enjoined, or otherwise sanctioned by any regulator such as SEBI, IRDAI, PFRDA etc., professional organization, government agency, or court because of professional conduct or activities, details thereof. <i>(Though it shall not be necessary for a candidate to mention in the column about orders and findings which have been later on reversed/ set aside in toto, it would be necessary to make a mention of the same, in case the reversal/ setting aside is on technical reasons like limitation or lack of jurisdiction, and not on merit. If the order is temporarily stayed and the appellate/ court proceedings are pending, the same also should be mentioned).</i>	
V. General Information		
42.	If a professional like Chartered Accountant, Advocate etc. and presently undertaking/ undertaken any professional work in any bank, provide details thereof including the name of the bank and period of association with the bank.	
43.	If a sitting MP/MLA/MLC or holding political position in Municipal Corporation or Municipality or other local bodies, provide details thereof.	
VI.	In the interest of disclosure and transparency, should there be any other information relevant for assessing 'fit and proper', provide details thereof.	

Undertaking

I confirm that the above information is to the best of my knowledge and belief, true and complete. I undertake to keep the bank fully informed, as soon as possible, of all events which take place after my appointment which are relevant to the information provided above.

I also undertake to execute a 'Deed of Covenant' as required to be executed with the bank.

Place :

Date :

Signature of Candidate

Remarks of Nomination and Remuneration Committee (NRC) of having satisfied itself that the above information is true and complete.

Place :

Date :

Signature of the Chair of the NRC